Dated 23/1/2025

Registrar, National Green Tribunal, Kolkata

Subject: Regarding the non-take of concrete action on the Principal Secretary (Forest) Jharkhand, Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand on the matter of violation of the conditions of Forest Clearance of the Ministry of Forest, Environment and Climate Change, Government of India.

Sir,

Regards to inform that NTPC Pankri in Barkagaon of Hazaribagh district of Jharkhand state for Barwadih Coal Project, the Government of India has as per Forest Clearance Stage 2, F. No. 8- 56/2009 FC in condition number 9 in which wildlife especially elephant movement is not disrupted allowed NTPC to carry coal from Conveyor System to the Banadag railway siding on a condition was given(Annexure 1). In violation of the above condition by getting the connivance of the officials of Western Forest Division Hazaribagh and for getting personal benefits, coal is being transported by road from forest/ common Road to Banadag Railway Siding. Whereas in the condition of Forest Clearance (FC), a condition was made to transport coal through conveyor system for smooth movement of wildlife. Despite this, coal is being transported both through NTPC conveyor system and road route. Due to which dozens of common citizens have died in road accidents and most of the wild animals are being affected, their movement is getting affected and wildlife is wandering and entering the human population and harming the life and property of human life, agriculture. Despite that, influenced by NTPC and transport agencies, the officials of Western Forest Division Hazaribagh, on the basis of Environment Clearance (EC) by NTPC, by taking orders for remission of conditions from the Hon'ble Supreme Court and by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India Forest Clearance Stage 2 F.No 8-56/2009-FC for Environment Clearance (EC) dated 27/29 October 2020 Condition number 9 is being violated. Whereas Forest Clearance and Environment Clearance (EC) are two different subjects and it is made mandatory to follow the conditions as per the different standards of both the divisions. In the above subject, a complaint was made by me on 17th August 2024 to the Minister, Ministry of Forest, Environment and Climate Change, Government of India and Chief Secretary, Government of Jharkhand on 15 August 2024 and 12 August 2024 and Principal Chief Conservator of Forests Jharkhand on 15 August 2024. (Annexure 2) After which, in the light of the letter dated 08/09/2024 of Sunit Bharadwaj of Forest Environment and Climate Change (Forest Conservation Division) of the Government of India, New Delhi, Mr. Jalaj Kumar Principal Secretary, Forest Environment and Climate Change Department Jharkhand was directed to inform the Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand on 07/10/2024 on the contents of the complaint as soon as possible after investigation. Apart from this in the same letter written earlier on the same subject to the Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand, the departmental letter number 1174, dated 29/03/2023, departmental letter number 2043 dated 02/06/2023, departmental letter number 1174, dated 29/03/2023. 2661 dated 14/07/2023, letter number 251 dated 25/01/2024 departmental letter number 835 dated 11/03/2024 and 3615 dated 06/08/2014 was mentioned, the answer to which was not given by the Principal Chief Conservator of Forests (Annexure 3) From the above case it can be said that from the office of Principal Secretary (Forest) Jharkhand, the department letter 1174 dated 29/03/2023, Departmental Letter No. 2043 dated 02/06/2023, Departmental Letter No. 2661 dated 14/07/2023, Letter No. 251 dated 25/01/2024, Departmental letter No. 835 dated 11/03/2024 and in the letter No. 3615 dated 06/08/2014 and dated 07/10/2024 to the Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand, only formalities were completed and no concrete action was taken regarding the violation of condition number 9 of FOREST CLEARANCE Stage 2, F.No 8-56/2009-1FC by the Government of India for NTPC Pankri Barwadih coal project. Due to which coal transportation by road is continued by NTPC and till now dozens of common citizens would not have died in road accidents

and and the movement of wild animals would not have been obstructed and due to obstruction of their movement, wild animals would not have come into human population and would not have caused harm to agriculture, human life and property. If concrete action had been taken by the Principal Secretary (Forest) of Jharkhand Government, then by now the condition number 9 of FOREST CLEARANCE Stage 2, F.No 8-56/2009-FC by Government of India for NTPC Pankri Barwadih coal project would have been followed and dozens of innocent citizens would not have died in untimely road accidents caused by NTPC coal vehicles and the movement of wild animals would not have been obstructed and due to obstruction of their movement, wild animals would not have come into human population and would not have caused harm to agriculture, human life and property, they could have been saved. This proves the proverb that the protector itself becomes the predator.

Therefore, it is requested to the Sir that in the matter of violation of condition number 9 of FOREST CLEARANCE Stage 2. F.No 8-56/2009-FC by the Government of India for NTPC Pankri Barwadih Coal Project, from the office of the Principal Secretary (Forest) Jharkhand departmental letter no. 1174, dated 29/03/2023, departmental letter no.-2043 dated 02/06/2023 departmental letter no. 2661 dated 14/07/2023, letter no. 251 dated- 25/01/2024, departmental letter no. 835 dated 11/03/2024 and 3615 dated 06/08/2014 and dated 07/10/2024, and in the matter of not taking action on the above letters and ignoring the above departmental letters after writing letters to the Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand it cannot be denied that he is getting personal benefits and other officers will also be involved in this. Therefore, instead of just doing the formality of correspondence, as per the notification number-F. NO.- 228/58-2023-AVD III of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India (ANNEXURE 4), CBI and concrete departmental/legal action should be taken against the Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand. Also for the NTPC Pankri Barwadih coal project, condition number 9 of FOREST CLEARANCE Stage 2, F.No 8-56/2009-FC by the Government of India should be followed. So that the movement of common citizens and forest animals is not obstructed and human life and property and agriculture are not affected due to their wandering. I will always be grateful to Shri.

Yours faithfully

Mantu Soni @ Shani Kant S/o-Shri Rajesh Kumar

Village Post- Barkagaon, District- Hazaribagh (Jharkhand)

Pin code – 825311,Mobile-9504268699

Email ID - mantusoni8@gmail.com

(1)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार के FOREST CLEARANCE के शर्तों के उल्लंघन मामले पर प्रधान सचिव (वन) झारखंड द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक,झारखण्ड़ पर ठोस कार्रवाई नही किए जाने के संबंध में।

ms mantu soni <mantusoni8@gmail.com>
Thu, 23 Jan 2025 12:16:36 AM +0530

To "publicgrievance-ngt" <publicgrievance-ngt@gov.in>, "registrarngt-kolkata" <registrarngt-kolkata@gov.in>

247/LP/2025
06/02/25

सेवा में
माननीय,रजिस्ट्रार
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कोलकाता

विषय - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार के FOREST CLEARANCE के शर्तों का उल्लंघन मामले पर प्रधान सचिव (वन) झारखंड द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक,झारखण्ड़ पर ठोस कार्रवाई नही किए जाने के संबंध में।

- **कृप्या शिकायत से सम्बंधित विवरण संलग्न पीडीएफ में देखें ।**

नोट - शिकायत से सम्बंधित कार्रवाई की सूचना कृप्या मुझे भी सूचित किया जाए ।

आपका विश्वासी
मंटु सोनी उर्फ शनि कांत
पिता - श्री राजेश कुमार
बड़कागांव, जिला - हज़ारीबाग (झारखंड)
पिन - 825311
मो० - 9504268699

1 Attachment(s) • Download as Zip

P S complain.pdf
13.6 MB •

सेवा में,   दिनांक 23/01/2025

रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,कोलकाता

विषय - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार के FOREST CLEARANCE के शर्तो का उल्लंघन मामले पर प्रधान सचिव (वन) झारखंड द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक,झारखण्ड पर ठोस कार्रवाई नही किए जाने के संबंध में।

महाशय

सादर सूचित करना है कि झारखंड राज्य के हज़ारीबाग़ जिले के बड़कागांव में एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा **FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9** जिसमें वन्य जीवों,खासकर हाथी के आवागमन बाधित नही होने के कारण एनटीपीसी को कंवेयर सिस्टम से बाणादाग रेलवे साइडिंग तक कोयला ले जाने का शर्त दिया गया था। (**ANNEXURE 1**) पश्चिमी वन प्रमण्डल हज़ारीबाग़ के अधिकारियों की मिलीभगत और निजी लाभ प्राप्त कर उक्त शर्त का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से जंगल/आम सड़क के रास्ते से बाणादाग रेलवे साइडिंग तक. कोयला परिवहन किया जा रहा है। जबकि FOREST CLEARANCE (FC) के शर्त में वन्य जीवों के सुगम आवागमन हेतु कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन किए जाने का शर्त लगाया गया था। इसके बावजूद एनटीपीसी द्वारा कंवेयर सिस्टम और सड़क मार्ग दोनों से कोयला परिवहन किया जा रहा है। **जिसके कारण अब तक दर्जनों आम नागरिक की मौत सड़क दुर्घटना में हो चुकी है और सबसे ज्यादा वन्य जीव प्रभावित हो रहे है ,उनका आवागमन प्रभावित हो रहा है और वन्य जीव भटक कर मानवीय आबादी में घुस जा रहे हैं और मानव जीवन के जान माल,कृषि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।** उसके बावजूद एनटीपीसी एवं ट्रांसपोर्ट एजेंसियों से प्रभावित होकर पश्चिमी वन प्रमंडल हज़ारीबाग़ के पदाधिकारी एनटीपीसी द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से शर्तों में छूट/संशोधन का आदेश लेकर तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) हेतु दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM का दुरुपयोग/गलत व्याख्या कर FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन किया/करवाया जा रहा है। जबकि FOREST CLEARANCE और ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) दो अलग-अलग विषय हैं और दोनों डिवीजन के अलग-अलग मानकों के अनुसार शर्तो का पालन करना अनिवार्य किया जाता है। उपरोक्त विषय मे मेरे द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2024 को मंत्री. वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार एवं मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार को 15 अगस्त 2024 तथा 12 अगस्त 2024 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड को शिकायत किया गया था। (**ANNEXURE 2**) जिसके बाद वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) भारत सरकार,नई दिल्ली के श्री सुनित भारद्वाज के पत्र दिनांक 08/09/2024 के आलोक में प्रधान सचिव, वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री जलज कुमार के द्वारा दिनांक 07/10/2024 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड से शिकायत के विषयवस्तु पर जांचोपरांत यथाशीघ्र अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावे उसी पत्र में पूर्व में लिखे प्रधान मुख्य वन संरक्षक,झारखंड को इसी विषय पर **विभागीय पत्रांक 1174,दिनांक 29/03/2023 ,विभागीय पत्रांक- 2043 दिनांक 02/06/2023,विभागीय पत्रांक 2661 दिनांक 14/07/2023,पत्रांक 251 दिनांक- 25/01/2024 ,विभागीय पत्रांक 835 दिनांक 11/03/2024 एवं 3615 दिनांक 06/08/2014** को लिखे पत्र का जिक्र किया गया था,जिसका जवाब प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा नही दिया गया था। (**ANNEXURE 3**) उपरोक्त प्रकरण से यह कहा जा सकता है कि प्रधान सचिव (वन) झारखंड के कार्यालय से विभागीय पत्रांक 1174,दिनांक 29/03/2023 ,विभागीय पत्रांक- 2043 दिनांक 02/06/2023,विभागीय पत्रांक 2661 दिनांक 14/07/2023,पत्रांक 251 दिनांक- 25/01/2024 ,विभागीय पत्रांक 835 दिनांक 11/03/2024 एवं

3615 दिनांक 06/08/2014 एवं दिनांक 07/10/2024 तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन के संबंध में सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई और कोई ठोस कार्रवाई नही की गई। जिसके कारण एनटीपीसी द्वारा सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन होते रहा और अब तक दर्जनों आम नागरिक की मौत सड़क दुर्घटना में नही होती और वन्य जीव प्रभावित नही होते व उनके आवागमन प्रभावित नही होते और वन्य जीव भटक कर मानवीय आवादी में घुस कर मानव जीवन के जान माल,कृषि को नुकसान नही पहुंचाते। अगर प्रधान सचिव (वन) झारखंड सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई की जाती तो अब तक एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का पालन भी होता और दर्जनों निर्दोष नागरिक एनटीपीसी के कोयला वाहनों से बेमौत सड़क दुर्घटना में मौत नही होती और वन्य जीवों का आवागमन बाधित नही होता और उनके आवागमन बाधित होने से वन्य जीव मानवीय आबादी में नही आते और कृषि,मानवीय जानमाल को नुकसान नही पहुंचाते उन्हें बचाया जा सकता था । **इससे रक्षक को ही भक्षक बनने वाली कहावत चरितार्थ होती दिखती है।**

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 के उल्लंघन के मामले में प्रधान सचिव (वन) झारखंड के कार्यालय से विभागीय पत्रांक 1174,दिनांक 29/03/2023 ,विभागीय पत्रांक- 2043 दिनांक 02/06/2023,विभागीय पत्रांक 2661 दिनांक 14/07/2023,पत्रांक 251 दिनांक- 25/01/2024 ,विभागीय पत्रांक 835 दिनांक 11/03/2024 एवं 3615 दिनांक 06/08/2014 एवं दिनांक 07/10/2024 तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को पत्र लिखने के बाद उपरोक्त पत्रों पर कार्रवाई नही करने एवं उपरोक्त विभागीय पत्रों को अवहेलना/अवमानना करने के मामले में इस बात से इनकार नही किया जा सकता की वह निजी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अन्य अधिकारी भी इसमें संलिप्त होंगे। इसलिए सिर्फ पत्राचार की औपचारिकता नही करते हुए **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एफ. NO.- 228/58-2023-AVD III के अनुसार (ANNEXURE 4)** प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड पर सीवीआई व **ठोस विभागीय/कानूनी कार्रवाई** की जाए । तथा एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का पालन करवाया जाए । जिससे आम नागरिकों,वन जीवों के आवागमन बाधित न हो और उनके भटकने से मानवीय जानमाल,कृषि प्रभावित न हो। श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा ।

आपका विश्वासी

मन्टू सोनी उर्फ शनिकान्त

मंटू सोनी@शनि कांत
पिता-श्री राजेश कुमार
ग्राम+पोस्ट- बड़कागांव, जिला- हज़ारीबाग़ (झारखंड)
पिन कोड - 825311
मोबाईल-9504268699
ईमेल आईडी - mantusoni8@gmail.com

प्रतिलिपी
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,नई दिल्ली

ANNEXURE - 1 11

F. No. 8-56/2009-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 510.
Dated: 17th September, 2010

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Jharkhand,
Ranchi.

Sub:- Diversion of 1026.438 ha of forest land for coal mining from Pakribarwadih Project in favour of M/s. NTPC in Hazaribagh West Forest Division in Hazaribagh district of Jharkhand.

Sir,

I am directed to refer to the State Govt. letter no. 3/VanBhumi-75/2009/2458/VP dated 06.08.2009 on the subject cited above seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under section-3 of the said Act, in-principle approval was granted vide this Ministry's letter of even number dated 11.05.2010 subject to fulfillment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Government to grant final approval.

In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the State Government *vide* letter no. dated 16.08.2010, approval of the Central Government is hereby granted under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 1026.438 ha of forest land for coal mining from Pakribarwadih Project in favour of M/s. NTPC in Hazaribagh West Forest Division in Hazaribagh district of Jharkhand subject to fulfillment of the following conditions:

1. Legal status of forest land shall remain unchanged.

2. a Compensatory afforestation shall be raised and maintained by the State Forest Department at the project cost.

   b Fencing, protection and regeneration of the safety zone area shall be done at the project cost. Besides this, afforestation on degraded forest land, to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost.

   c Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures in the blanks within the lease area, as well as along the roads outside the lease area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department

3. Following activities shall be undertaken by the User Agency under the supervision of the State Forest Department at the project cost:

   (i) Proper mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented.

   (ii) Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion.

   (iii) Construction of check dams, retention / toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour.

   (iv) The areas shall be reclaimed keeping in view the international practice of stabilizing the dumps by grading / benching so that angles of repose (normally less than 28 at any given place) are maintained.

   (v) The top soil management plan should be strictly adhered to.

4. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

5. The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional NPV, if so determined, as per the final decision of Hon'ble Supreme Court of India.

6. The approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the clearance under the Environment (Protection) Act, 1986.

7. The user agency will make arrangement for free supply of coal to labourers and staff working on the project site so as to avoid any pressure on the adjacent forest areas.

8. The user agency will take up programme for at least 50 m greenbelt along the sides of the Pakwa nallah and Dumuhani nallah from the initial years under the supervision of the State Forest department.

9. The coal evacuation will be done through high speed conveyor of 20 meter width running at a height sufficient to allow all tall wild animals including elephants. The installation of such system will be undertaken under the supervision of the CWLW of the State.

10. The State Govt. to implement the rehabilitation policy of the State with respect to landless as submitted with the compliance report.

11. The user agency will assist the State Government in conservation and preservation of flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State.

12. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the

proposal.

13. No labour camps shall be set up inside the forest area.

14. The user agency shall provide fuel wood preferably alternate fuel to the labourers working at the site to avoid damage / felling of trees.

15. The period of permission for lease under the Forest (Conservation) Act, 1980 will be for 20 years or co-terminus with the mining lease subject to possession of valid lease by User Agency under the MMDR Act, 1957.

16. Demarcation of mining lease area will be done on the ground at project cost using four feet high reinforced cement concrete pillars with serial numbers, forward & back bearings and distance from pillar to pillar.

17. Mining / reclamation schedule shall be implemented by the user agency at their cost as per Environmental Management Plan / phased reclamation programme. The annual report about the progress of reclamation should be submitted to the CCF (Central), Bhubaneshwar.

18. The user agency shall also take up study on soil erosion / soil flow from the over-burden areas with the help of GIS in consultation with the forest department.

19. The user agency shall take up the de-silting of the village tanks within five km area from the mine lease boundary as a Corporate's social responsibility so as to mitigate the impact of siltation of such tanks if any.

20. Any other condition that the Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Bhubaneshwar may impose from time to in the interest of conservation, protection or development of forests.

Yours faithfully,

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests Government of Jharkhand, Ranchi.
2. The Nodal Officer, Office of the PCCF, Government of Jharkhand, Ranchi.
3. The Chief Conservator of Forest, Regional Office, Bhubaneshwar.
4. User Agency for information.
5. Monitoring cell of the FC section
6. Guard file.

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

ANNEXURE 2

दिनांक - 17/08/2024

सेवा में

1.मंत्री,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय,भारत सरकार
2.उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड

विषय - **माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) हेतु दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM का दुरुपयोग कर एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 एवं NBWL के निर्देश का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के कारण वन्य जीवों के आवागमन/संतुलन बिगड़ने और मानव जीवन,कृषि और वन को नुकसान/ खतरा होने के कारण तत्काल सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन बन्द करवाने के संबंध में ।**

महाशय

सादर सूचित करना है कि झारखंड राज्य के हज़ारीबाग जिले के बड़कागांव में एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से शर्तों में छूट/संशोधन का आदेश लेकर तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) हेतु दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM का दुरुपयोग/गलत व्याख्या कर FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 एवं CWLW के निर्देशों का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से जंगल/आम।सड़क के रास्ते से बाणादाग रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन किया जा रहा है। जबकि FOREST CLEARANCE के शर्त में वन्य जीवों के सुगम आवागमन हेतु कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन किए जाने का शर्त लगाया गया था। जिसकी निगरानी CWLW राज्य सरकार को करना था। इसके बावजूद जिला प्रशासन,वन विभाग,जिला खनन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से अवैध तरीके से सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करवाया जा रहा है। जिसके कारण सबसे ज्यादा वन्य जीव प्रभावित हो रहे है ,उनके आवागमन प्रभावित हो रहे हैं और वन्य जीव भटक कर मानवीय आबादी में घुस जा रहे हैं और मानव जीवन के जान माल,कृषि को नुकसान पहुंचा रहे हैं । वहीं सड़क दुर्घटनाओं में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है । वन्य जीवों पर भी खतरा उत्पन्न होता है । विशेष उल्लेखनीय बात यह है एनटीपीसी द्वारा विधि-व्यव्स्था और भूमि अधिग्रहण की समस्या बता कर विगत कई वर्षों से महज कुछ सौ मीटर कंवेयर सिस्टम बनाने के नाम पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के आधार पर समय ले रही है। ऐसा लगता है कि ऐसा जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह परियोजना की खनन-उत्पादन और परिवहन की तमाम रिकॉर्ड उपलब्धियों को दिखाता-बताता है। और दूसरी तरफ महज कुछ सौ मीटर की कंवेयर सिस्टम बनाने में उसे कई वर्ष लग जा रहे हैं । ऐसा लगता है कि एनटीपीसी द्वारा जानबूझकर कुछ सौ मीटर कंवेयर अधूरा बता कर उसकी मंशा सड़क मार्ग और कंवेयर सिस्टम से कोयला परिवहन करने का है, ताकि सड़क मार्ग से कोयले में हेराफेरी जारी रख सके। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि सड़क मार्ग से कोयला परिवहन में भी गड़बड़ी पकड़ा गया है। इस प्रकार कोयला चोरी कर सरकारी राजस्व को भी नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है ।

1.यह कि एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोयला परियोजना हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 में एनटीपीसी को

वन्य जीवों (हाथी समेत अन्य वन्य जीवों/ जानवरों) के आवागमन प्रभावित नही होने के कारण कन्वेयर वेल्ट से कोयला परिवहन करने का अनिवार्य शर्त दिया गया था ।

(ANNEXURE 1)

2. यह कि पश्चिमी वन प्रमंडल हज़ारीबाग़ कार्यालय ने सूचनाधिकार के माध्यम से दिए जानकारी में कहा था कि एनटीपीसी को पंकरी बरवाडीह से बाणादाग रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर बेल्ट और सड़क मार्ग दोनों माध्यमों से कोयला परिवहन के लिए अनुज्ञा/ ट्रांजिट परमिट जारी किया जा रहा है ,और उनके कार्यालय में कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने या नही करने से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नही है। इससे साबित होता है एनटीपीसी का कन्वेयर बेल्ट बन गया है और उससे कोयला परिवहन भी चालू है। इसके बावजूद MOEF & CC के शर्तों (ANNEXURE 1) के खिलाफ/अवहेलना कर सड़क मार्ग से अवैध ट्रांसपोर्टेशन के लिए पश्चिमी वन प्रमंडल हज़ारीबाग़ से अनुज्ञा/परमिट जानबूझकर जारी किया जा रहा है। **(ANNEXURE 2)**

3.यह कि एनटीपीसी के द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ENVIRONMENT CLEARANCE के लिए MOEF & CC के दिल्ली कार्यालय द्वारा दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM के तहत ट्रांसपोर्टेशन किए जाने का हवाला देता है। जबकि उसी OFFICE MEMORENDAM में यह स्पष्ट किया गया है कि कन्वेयर सिस्टम का स्ट्रक्चर नही बनने तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा सकता है । जबकि उसमें कंवेयर कार्यरत होने या न होने का कोई जिक्र नही किया गया है । तथा कंवेयर कार्यरत होने या न होने का क्या पैमाना होता है ? वह भी एनटीपीसी नही बताता है । इसके अलावे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनटीपीसी ENVIRONMENT CLEARANCE के लिए जारी उक्त OFFICE MEMORENDAM का दुरुपयोग FOREST CLEARANCE के स्टेज 2 के शर्त संख्या 9 के उल्लंघन के जवाब में देती है। जो उसकी गलत मानसिकता से गलत कार्य को सही बताने के लिए गलत तरीके व्याख्या किए जाने की पुष्टि करता है। **(ANNEXURE 3)**

4.यह कि एनटीपीसी के द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए MOEF & CC के दिल्ली कार्यालय द्वारा दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM के तहत ट्रांसपोर्टेशन किए जाने का हवाला देता है। जबकि MOEF & CC के दिल्ली कार्यालय द्वारा दिनांक 21 मई 2020 को जो अधिसूचना जारी किया गया था,वह पर्यावरण (संरक्षण) 1986 की धारा 3,6 और 25 के तहत 2 जनवरी 2014 द्वारा पर्यावरण(संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 3 के उपनियम 8 का संशोधन प्रकाशित किया गया था। जो सिर्फ ENVIRONMENT CLEARANCE से सम्बंधित है । इसमें FOREST CLEARANCE के शर्त में किसी प्रकार का कोई छूट या संशोधन की बात नही कहा गया है। **(ANNEXURE 4)**

5.यह कि एनटीपीसी के द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देता है,तो उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट से ENVIRONMENT CLEARANCE की शर्तों में संशोधन के आधार पर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने की छूट दिया गया है । सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 से सम्बंधित शर्तों में छूट या संशोधन का जिक्र नही किया है। फिर किस आधार पर एनटीपीसी सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ? और वन विभाग उसके लिए अनुज्ञा/ट्रांजिट परमिट जारी कर रहां है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश संलग्न **(ANNEXURE 5)**

उपरोक्त पांचों बिंदुओं से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि एनटीपीसी के द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से शर्तों में छूट/संशोधन का आदेश लेकर तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) हेतु दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM का दुरुपयोग/गलत व्याख्या कर FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है । इसके अलावे एनटीपीसी द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने में भारी गड़बड़ी किया जा रहा है। जिससे यह इनकार नही किया जा सकता है कि कोयले की बिक्री खुले बाजार में बेच कर खनिज की अवैध बिक्री और खनिज से प्राप्त राजस्व का नुकसान किया जा रहा है और जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नही किया जा रहा है । जो खनन विभाग और वन विभाग की जांच पत्र के निम्न बिंदुओं से प्रतीत होता है ।

6.यह कि निदेशक खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 2549/एम० रांची दिनांक 09/10/2018 द्वारा JIMMS प्रणाली के द्वारा जांच में कोयला के ई परिवहन चालान द्वारा एनटीपीसी के पंकरी खनन परियोजना से बाणादाग साइडिंग तक टू-थ्री मोटर पैसेंजर व मोटर कार से कोयला परिवहन (चालान और वाहन नम्बर सहित) किए जाने की जानकारी देते हुए जिला खनन कार्यालय हज़ारीबाग़ को पत्र लिखा गया था । जिसके बाद जिला खनन पदाधिकारी(हज़ारीबाग़) श्री नितेश गुप्ता ने पत्रांक 27/खनन ,दिनांक 07 जनवरी 2019 एवं पत्रांक 248/खनन दिनांक 05/03/2019 को बड़कागांव थाना में फर्जी वाहन/चालान से कोयला परिवहन किए जाने से संबंधित व्यक्तियों/कंपनियों पर सुसंगत नियमों एवं धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। परंतु पांच साल बीत जाने के बाद अब तक मामला दर्ज नही किया गया है। (ANNEXURE 6)

7.यह कि वन विभाग ने एनटीपीसी के कोयला ट्रांसपोर्टिंग में काफी गड़बड़ियां को पकड़ा था। जो सिर्फ एक बार के औचक निरीक्षण में पकड़ा गया था। हज़ारीबाग़ पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक 3659 दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को एनटीपीसी के अपर महाप्रबंधक कोयला प्रेषण विभाग को पत्र लिखा था । जिसमें एनटीपीसी द्वारा निर्गत किए गए परिवहन अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति(counter file) का दिनांक 30 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2021 के कुछ प्रतियों के औचक निरीक्षण में बहुत प्रकार की विसंगतियों को पकड़ा था,जो इस प्रकार है।

(क) परिवहन अनुज्ञा पत्र JHAA112501 से JHAA1125700 तक काटे गए परिवहन अनुज्ञा पत्र आपके पत्रांक 1040/PBCMP/CD/2020/913 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से प्राधिकृत किया गया कोई भी स्पेसिमेन हस्ताक्षर नही मिलता जो आपके द्वारा लिखे पत्रांक 1040/PBCMP/CD/2020/913 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को अवैध ठहराता है इस प्रकार के कृत्य वन अपराध के श्रेणी में आता है।

(ख) परिवहन अनुज्ञा पत्र के लोडिंग प्वाइंट से डिस्टीनेसन प्वाइंटस की अधिकतम दूरी 30 कि.मी है। इस दूरी के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र मान्य रहने का अधिकतम समय 6 घन्टा होना चाहिए । जबकि कुछ अनुज्ञा पत्रों में अनुज्ञा पत्र मान्य का समय 24 घन्टा से 30 घन्टा तक दिया गया है जो सही नही है। निम्नलिखित अनुज्ञा पत्रों के परिवहन पत्र संख्याJHAA1125667,JHAA1125669 से लगातार JHAA115686 एवं परमिट संख्या JHAA1125692 तक सभी मे 24 घंटा से 30 घन्टा का मान्य समय दिया गया है । जो नियमानुसार सही नही है।

(ग) परिवहन अनुज्ञा पत्र कंडिका -8 में किस प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा परिवहन अनुज्ञा पत्र काटा गया उसका उल्लेख नही होना भी नियमानुकूल नही है।

(घ) परिवहन अनुज्ञा पत्र JHAA1125501 से JHAA115550 में परमिट संख्या JHAA1125501 से JHAA1155528 तक दिनांक 31 अगस्त 2021 को 11:16 AM में काटना एवं बाद के परमिट संख्या JHAA1125528 से 550 तक मे

दिनांक 31 अगस्त 2021 को ही 05:04 बजे से काटना विधि सम्मत नही है । एक ही तिथि को बाद के परिवहन अनुज्ञा पत्र में पहले का समय देने का औचित्य को बताने को कहा गया था। (संबंधित पत्र ANNEXURE 7)

8.यह कि मेरे दिनांक 18/12/2020 को किए गए शिकायत के बाद वन विभाग ने वन विभाग के सड़क के किनारे पेड़ काटकर सड़क चौड़ा कर सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन करने के मामले में एनटीपीसी और ट्रांस्पोर्ट एजेंसी के अधिकारियों पर तीन केस/परिवादवाद दायर किया,परन्तु आज तक उनपर कोई कार्रवाई नही किया गया है। (ANNEXURE 8)

9.यह कि FOREST CLEARANCE के शर्तो का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन किए जाने के मामले में वन विभाग के अधिकारी इतने संलिप्त हैं कि सरकार को ही आरोपियों से पूछकर गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं। माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा में सवाल पूछने पर तत्कालीन पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री सबा आलम अंसारी ने एनटीपीसी से ही पूछकर सरकार को विधानसभा में जवाब देने के लिए विभाग को जवाब दिया जिसमें ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) हेतु दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM के तहत सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन किए जाने का जिक्र कर दिया। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा किए जाने के बाद बार-बार वन विभाग के अवर सचिव स्तर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक,झारखंड को जांच कर मंतव्य मांगा जा रहा है। इसके बावजूद प्रधान मुख्य वन संरक्षक सरकार को जांच कर मंतव्य रिपोर्ट नही भेज रहे हैं। सम्बंधित पत्र और विवरण संलग्न (ANNEXURE 9)

उपरोक्त वर्णित क्रम संख्या एक से लेकर नौ तक मे उल्लेखित बिंदुओं, तथ्यों और सबूतों से साबित होता है कि एनटीपीसी ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से शर्तो में छूट/संशोधन का आदेश लेकर तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) हेतु दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM का दुरुपयोग/गलत व्याख्या कर FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन कर रहा है और कंवेयर सिस्टम से भी कोयला परिवहन कर रहा है। इसमें वन विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ, कर्तव्यहीनता से सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है। जिससे वन्य जीवों/जानवरों के आवागमन और विचरण प्रभावित हो रहा है। जिसके कारण वन्य जीव/जानवर भटक कर मानवीय आबादी वाले इलाकों में आ जा रहे हैं। जिनसे उनकी जान के साथ मानवीय जीवन,कृषि ,जंगल/पेड़- पौधों को भी नुकसान/खतरा हो रहा है। चूंकि एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह परियोजना में सैकड़ो एकड़ में अवैध खनन की पुष्टि हो चुकी है। तथा उपरोक्त प्रकरणों से यह प्रतीत होता है कि फर्जी वाहन/चालान के नाम कोयला ट्रांसपोर्टेशन दिखा कर कोयला बाजार में बेच दिया गया है और बाणादाग साइडिंग से कोयले की जगह चारकोल/पत्थर रैक में लोड कर गंतव्य तक भेजा जा रहा है। इसलिए एनटीपीसी इस प्रकार का अवैध कार्य कर रही है । जिसमें वन विभाग के अधिकारी पद का दुरुपयोग करते हुए विभागीय निर्देशो/शर्तो का उल्लंघन करवा अवैध कार्य कर रहे लोगों/एजेंसियों से सांठगांठ/संलिप्तता कर उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

नोट - शिकायत में वर्णित बिंदुओं/तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई नही होने पर यह माना जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2 के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन वन विभाग के अधिकारी अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। जिसके कारण वन्य जीवों/जानवरों के आवागमन,विचरण प्रभावित/नुकसान और उनका संतुलन बिगड़ रहा है । जिसके कारण मानवीय जीवन,वन, पेड़-पौधों और कृषि को नुकसान हो रहा है। तथा सभी तरह के नुकसान का जिम्मेवार मानते हुए कानूनी/न्यायिक प्रक्रिया/याचिका बतौर आरोप और सबूत के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।

(11)

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि पूरे प्रकरण की पर निष्पक्ष कार्रवाई किया जाए। जिससे भारत सरकार के FOREST CLEARANCE के शर्तों का अनुपालन किया जा सके और वन्य जीवों-जानवरों का आवागमन बना रहे उनका संतुलन न बिगड़े तथा मानवीय जीवन,वन, पेड़-पौधों को बचाया जा सके। इसलिए एनटीपीसी द्वारा खनन स्थल से सड़क मार्ग द्वारा कोयला परिवहन बंद करवाया जाए और उसे उतनी ही दूरी तक (एनटीपीसी के कथनानुसार) सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने की अनुमति दी जाए जितनी दूरी तक कन्वेयर सिस्टम नही बना है। इस कार्य के लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा ।।

आपका विश्वासी

मंटू सोनी उर्फ शनि कांत

मंटू सोनी@शनि कांत
पिता-श्री राजेश कुमार
ग्राम+पोस्ट- बड़कागांव, जिला- हज़ारीबाग (झारखंड)
पिन कोड - 825311
मोबाईल-9504268699
ईमेल आईडी - mantusoni8@gmail.com

प्रतिलिपि

1.महामहिम राज्यपाल, झारखंड (रांची)

2.मुख्य सचिव,झारखंड,रांची

3.भारत सरकार,

Regarding stopping coal transportation by road by NTPC in violation of the conditions of Forest Clearance Stage 2 & NBWL by misusing the order of the Hon'ble Supreme Court and the Office Memorandum (EC) of MOEF&CC.

me 17 Aug 2024

to mefcc, mos.kvs

To,

1. **The minister, MOEF & CC**

2.voice president, national board for wildlife (NBWL)

Subject - Regarding stopping coal transportation by road by NTPC in violation of the conditions of Forest Clearance Stage 2 & NBWL by misusing the order of the Hon'ble Supreme Court and the Office Memorandum (EC) of MOEF&CC.

☛. Please see the details and evidence related to the complaint in the attached PDF.

Note - Information regarding action taken on the complaint should be provided to me.

With regards
Mantu soni @shani kant
Barkagaon, dist -hazaribagh (jharkhand)
Pin code -825311
Mo- 9504269699

violation FC
condition compl...

PDF

transportation by road by NTPC in violation of the conditions of Forest Clearance Stage 2 & NBWL by misusing the order of the Hon'ble Supreme Court and the Office Memorandum (EC) of MOEF&CC.

me 15 Aug 2024
to cs-jharkhand

To,

The Chief secretary,
Government of jharakhand, Ranchi

Subject - Regarding stopping coal transportation by road by NTPC in violation of the conditions of Forest Clearance Stage 2 & NBWL by misusing the order of the Hon'ble Supreme Court and the Office Memorandum (EC) of MOEF&CC.

☞. Please see the details and evidence related to the complaint in the attached PDF.

Note - Information regarding action taken on the complaint should be provided to me.

With regards
Mantu soni @shani kant
Barkagaon, dist -hazaribagh (jharkhand)
Pin code -825311
Mo- 9504269699

violation FC
condition compl...

Regarding stopping coal transportation by road by NTPC in violation of the conditions of Forest Clearance Stage 2 by misusing the order of the Hon'ble Supreme Court and the Office Memorandum (EC) of MOEF&CC.

me 12 Aug 2024
to forestjhr

To
The Principal secretary (Forest)
Government of jharkhand, (Ranchi)
Nepal hause, Doranda, Ranchi

Subject - Regarding stopping coal transportation by road by NTPC in violation of the conditions of Forest Clearance Stage 2 by misusing the order of the Hon'ble Supreme Court and the Office Memorandum (EC) of MOEF&CC.

👉 Please see the details and evidence related to the complaint in the attached PDF.

Note - Information regarding action taken on the complaint should be provided to me.

With regards
Mantu soni @shani kant
Barkagaon, dist -hazaribagh (jharkhand)
Pin code -825311
Mo- 9504269699

अवैध ट्रांसपोर्टेशन.pdf

ANNEXURE 1

F. No. 8-56/2009-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 510.
Dated: 17th September, 2010

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Jharkhand,
Ranchi.

Sub:- Diversion of 1026.438 ha of forest land for coal mining from Pakribarwadih Project in favour of M/s. NTPC in Hazaribagh West Forest Division in Hazaribagh district of Jharkhand.

Sir,

I am directed to refer to the State Govt. letter no. 3/Vanbhumi-75/2009/2458/VP dated 06.08.2009 on the subject cited above seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under section-3 of the said Act, in-principle approval was granted vide this Ministry's letter of even number dated 11.05.2010 subject to fulfillment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Government to grant final approval.

In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the State Government vide letter no. dated 16.08.2010, approval of the Central Government is hereby granted under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 1026.438 ha of forest land for coal mining from Pakribarwadih Project in favour of M/s. NTPC in Hazaribagh West Forest Division in Hazaribagh district of Jharkhand subject to fulfillment of the following conditions:

1. Legal status of forest land shall remain unchanged.

2. a Compensatory afforestation shall be raised and maintained by the State Forest Department at the project cost.

   b Fencing, protection and regeneration of the safety zone area shall be done at the project cost. Besides this, afforestation on degraded forest land, to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost.

   c Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures in the blanks within the lease area, as well as along the roads outside the lease area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.

3. Following activities shall be undertaken by the User Agency under the supervision of the State Forest Department at the project cost:

   (i) Proper mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented.

   (ii) Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion.

   (iii) Construction of check dams, retention / toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour.

   (iv) The areas shall be reclaimed keeping in view the international practice of stabilizing the dumps by grading / benching so that angles of repose (normally less than 28 at any given place) are maintained.

   (v) The top soil management plan should be strictly adhered to.

4. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

5. The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional NPV, if so determined, as per the final decision of Hon'ble Supreme Court of India.

6. The approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the clearance under the Environment (Protection) Act, 1986.

7. The user agency will make arrangement for free supply of coal to labourers and staff working on the project site so as to avoid any pressure on the adjacent forest areas.

8. The user agency will take up programme for at least 50 m greenbelt along the sides of the Pakwa nallah and Dumuhani nallah from the initial years under the supervision of the State Forest department.

9. The coal evacuation will be done through high speed conveyor of 20 meter width running at a height sufficient to allow all tall wild animals including elephants. The installation of such system will be undertaken under the supervision of the CWLW of the State.

10. The State Govt. to implement the rehabilitation policy of the State with respect to landless as submitted with the compliance report.

11. The user agency will assist the State Government in conservation and preservation of flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State.

12. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the

proposal.

13. No labour camps shall be set up inside the forest area.

14. The user agency shall provide fuel wood preferably alternate fuel to the labourers working at the site to avoid damage / felling of trees.

15. The period of permission for lease under the Forest (Conservation) Act, 1980 will be for 20 years or co-terminus with the mining lease subject to possession of valid lease by User Agency under the MMDR Act, 1957.

16. Demarcation of mining lease area will be done on the ground at project cost using four feet high reinforced cement concrete pillars with serial numbers, forward & back bearings and distance from pillar to pillar.

17. Mining / reclamation schedule shall be implemented by the user agency at their cost as per Environmental Management Plan / phased reclamation programme. The annual report about the progress of reclamation should be submitted to the CCF (Central), Bhubaneshwar.

18. The user agency shall also take up study on soil erosion / soil flow from the over-burden areas with the help of GIS in consultation with the forest department.

19. The user agency shall take up the de-silting of the village tanks within five km area from the mine lease boundary as a Corporate's social responsibility so as to mitigate the impact of siltation of such tanks if any.

20. Any other condition that the Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Bhubaneshwar may impose from time to in the interest of conservation, protection or development of forests.

Yours faithfully,

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests Government of Jharkhand, Ranchi.
2. The Nodal Officer, Office of the PCCF, Government of Jharkhand, Ranchi.
3. The Chief Conservator of Forest, Regional Office, Bhubaneshwar.
4. User Agency for information.
5. Monitoring cell of the FC section
6. Guard file.

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

ANNEXURE 2

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest.jvn@gmail.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक: 3543 दिनांक: 02/11/2022

सेवा में,

मंटू सोनी उर्फ शनि कांत,
ग्राम – पोस्ट + थाना– बड़कागांव,
जिला हजारीबाग
मो0 नं0 9504268699

विषय:– जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका आवेदन दिनांक 07-10-2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा मांगी सूचना की जानकारी निम्नवत है :–

01	एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग साईडिंग तक कन्वेयर बैल्ट से कोयला परिवहन के लिए वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया जा रहा है? हां या नहीं ?	एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बाणादाग साईडिंग तक कन्वेयर बैल्ट/ ट्रकों से परिवहन हेतु वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया जा रहा है।
02	एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बाणादाग साइडिंग तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के लिए वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया जा रहा है? हां या नहीं?	एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बाणादाग साईडिंग तक कन्वेयर बैल्ट/ ट्रकों से परिवहन हेतु वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया जा रहा है।
03	एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बाणादाग रेलवे साईडिंग तक कन्वेयर बैल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद एनटीपीसी को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का परिवहन/वन विभाग का विभागीय आदेश निर्गत है तो उसके शर्तो के साथ विभागीय आदेश कॉपी का विवरणी उपलब्ध कराया जाए।	एन0टी0पी0सी0 के पकरीबरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग साईडिंग तक कन्वेयर बैल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने/ नहीं करने संबंधी कोई अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(1)

04	केरेडारी में एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना के लिए सडक मार्ग से कोयला परिवहन करने का विभागीय आदेश जारी हुआ है? अगर हां तो विभागीय आदेश की कॉपी उपलब्ध कराया जाए।	केरेडारी में एन0टी0पी0सी0 की चट्टीबरियातु कोल परियोजना के लिए सडक मार्ग से कोयला परिवहन करने अथवा नही करने संबंधी कोई अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
05	एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना अंतर्गत दुमुहाना और पकया नाला का नक्शा उपलब्ध कराया जाए।	नक्शा की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध है। इस हेतु सरकारी प्रावधान के अनुरूप नियमानुसार फोटोकॉपी की राशि जमा करवा कर छाया प्रति प्राप्त किया जाय।

विश्वासभाजन

19.11.2022

जन सूचना पदाधिकारी

–सह–

सहायक वन संरक्षक,

हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल।

ANNEXURE 3

F.No. J-13012/91/2008-IA.II (T)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

3rd Floor, Vayu Block,
Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road,
Aliganj, New Delhi-110003

Dated: 27.10.2020
29

Office Memorandum

Sub: Clarification regarding coal transportation by Thermal Power Plants in line with Ministry's Gazette Notification vide S.O. 1561(E) dated 21.05.2020- reg.

The Ministry vide Gazette Notification S.O. 1561(E) dated 21.5.2020 has prescribed certain conditions on coal transportation.

2. The Ministry has been receiving several representations from various power plant operators to issue a clarification on coal transportation in light of the said Notification dated 21.05.2020.

3. It is reiterated that the Ministry's Notification dated 21.5.2020 aims at achieving coal transportation by railway wagons and/or belt conveyors from delivery point of coal mine to thermal power plant and it is the responsibility of power plant operators to set up such infrastructure pertaining to rail or conveyor belt system. Therefore, the condition in the Environmental Clearance, as regards setting up rail infrastructure or conveyor belt system shall remain operative. However, till such time infrastructure regarding rail/conveyor system is not established, coal may be transported by road **with tarpaulin covered trucks.**

4. The said Notification also clarifies that the existing conditions in the Environmental Clearance stand modified so as to make the above conditions operative. Therefore, the project proponents need not approach the Ministry to seek temporary permissions for road transportations subject to transportation through tarpaulin covered trucks.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Dr. S. Kerketta)
Director

To

1. All Power Plant Operators who were granted Environmental Clearance
2. All Chairmen and Members of SPCBs/UTPCCs/CECB/EACs/SEACs/SEIAAs.

Copy to:

1. Sr.PPS to Secretary
2. Sr. PPS to AS (RA) & AS (RSP)
3. Sr. PPS to JS (GM) & JS (SKB)
4. Guard file/Website of MoEF&CC

Director, IA.I

(35)

एनटीपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)
कोयला खनन परियोजनाएँ, हजारीबाग
Coal Mining Projects, Hazaribag

Ref. No.: NTPC/PBCMP/EMG/2023/11

Date: 17.06.2023

To
Divisional Forest Officer,
Hazaribagh West Division,
Hazaribagh, Jharkhand.

Email: dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

Sub: Transportation of coal by road from Parki Barwadih CMP, NTPC Ltd.-reg.

Ref: Ltr. No. 3305 dated 15.06.2023.

Dear Sir,

This has reference to the letter mentioned above regarding validity (28.06.2023) of the transportation of coal by road from Parki Barwadih CMP. In this regard NTPC Limited likes to bring following points for your kind notice and consideration to allow transport by road after 28.06.2023.

As per clause no 3(i) of the MoEF& CC, GoI notification S. O. 1561 (E) dated 21.05.2020, coal transportation by road in covered tarpaulin truck can be done till conveyor infrastructure is completed. The Clause is reproduced below for ready reference: (Copy of the S. O. is enclosed as Annexure-1)

Quote:

(3) Transportation

*(i) Coal transportation may be undertaken by covered Railway wagon (railway wagons covered by tarpaulin or other means) and/or covered conveyer beyond the mine area. However, **till such time enabling Rail transport/conveyer infrastructure is not available, road transportation may be undertaken in trucks, covered by tarpaulin or other means.***

Navin Kumar
नवीन कुमार / NAVIN KUMAR

कोयला खनन परियोजनाएँ, सिकरी साईट कार्यालय, बड़कागाँव, हजारीबाग - 825311
Coal Mining Projects, Sikri Site Office, Barkagaon, Hazaribag - 825311

(36)

Unquote:

Further as per clause no 4 of the same MoEF& CC, GoI notification S. O. 1561 (E) dated 21.05.2020, the existing EC deemed to be modified having included clause no 3(i) as additional condition of the existing EC. Also, as per the clause no-4, an online application has been submitted to Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB) vide ref no 18378207 dated 26.05.2023 for amendment in CTO (Consent To Operate) to include the condition "coal transportation by road till conveyor is completed". The Clause no-4 is reproduced below for ready reference:

Quote:

> *(4) This shall also be deemed to be additional conditions of the relevant Environment Clearance for respective project for financial year 2020-21 and onwards. The existing environment clearances shall stand modified so as to make the above conditions operative for relevant sectors. The Consent To Operate Shall be issued by respective State Pollution Control Boards accordingly "*

Unquote:

Further, it was clarified by MoEF&CC vide office memorandum ref no F.No. J-13012/91/2008-IA. II (T) dtd. 27/29.10.2020 that project proponents need not approach the Ministry to seek temporary permissions for road transportations subject to transportation through tarpaulin covered trucks. Copy of the OM is attached as Annexure-2

Quote:

> *The said notification also clarifies that the existing conditions in the Environment Clearance stand modified so as to make the above conditions operative. Therefore, the project proponents need not approach the Ministry to seek temporary permissions for road transportation subject to transportation through tarpaulin covered trucks.*

Unquote:

Further, it is to submit that Conveyor Infrastructure is partially completed and operational up to TP-10 through which on an average 13000 TPD of coal is being transported. From TP-10 to siding, a rapid loading system (RLS) for transporting and loading of the coal to railway wagon is under construction, but due to local law and order situation and land acquisition issues the construction of the RLS is getting delayed. District administration

नवीन कुमार / NAVIN KUMAR

(23)

(37)

under the kind leadership of Deputy Commissioner, Hazaribagh has deputed DLAO and land has been made available in the month of April 2023 and NTPC is putting its best efforts to complete the RLS at the earliest possible

In, view of the above, it is requested that forest transit permits may kindly be issued so as to ensure uninterrupted dispatch of coal to different plants of NTPC Ltd and maintain the country's coal requirement. The CTO from State Pollution Control board is expected soon with permission for road transportation and same shall be submitted as and when received.

With Regards,

Yours Sincerely,

[Navin Kumar]
DGM (Envt. Mgmt.),
Pakri Barwadih CMP.
नवीन कुमार / NAVIN KUMAR

(२५)

ANNEXURE 4

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219495
CG-DL-E-21052020-219495

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1400] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2020/वैशाख 31, 1942
No. 1400] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2020/VAISAKHA 31, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

का.आ. 1561(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐश सामग्री (ऐश कंटेंट) को 34% तक की सीमा सहित कोयले का उपयोग करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों की कतिपय श्रेणियों को अधिदेशित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 2 जनवरी, 2014 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 3 के उपनियम 8 का संशोधन प्रकाशित किया।

और जबकि सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 2 जनवरी, 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित समय-सीमा तक कच्चे अथवा मिश्रित अथवा लाभकारी कोयले (बेनिफिसिएटिड कोल), जिसमें ऐश सामग्री चौंतीस प्रतिशत (34%) से अधिक ना हो, का उपयोग करने के लिए त्रैमासिक आधार पर कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को अधिदेशित किया गया है :

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र की श्रेणी	गर्तमुख(पिट-हैड)/कोयला खान से ताप विद्युत संयंत्र के अवस्थान की दूरी	समय-सीमा
(क)	एकल ताप विद्युत संयंत्र (किसी भी क्षमता के) और कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्र (100 मेगावाट और अधिक क्षमता सहित)	गर्तमुख विद्युत संयंत्रों को छोड़कर गर्तमुख से दूरी पर ध्यान दिए बिना शहरी क्षेत्रों,या परिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में अवस्थित	2 जून, 2014 से प्रभावी।
(ख)		1000 किमी से अधिक दूर	2 जून, 2014 से प्रभावी।
(ग)		750-1000 किमी के बीच	1 जनवरी, 2015 से प्रभावी।
(घ)		500-749 किमी के बीच	5 जून, 2016 से प्रभावी।

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में स.का.आ. 3305 (अ), तारीख 7 दिसंबर, 2015 और सा.का.नि.593 (अ), तारीख 28 जून, 2018 द्वारा विद्युत उत्पादन की क्षमता और विद्युत संयंत्र की संस्थापना की तारीख और समय-बद्ध रीति से प्राप्त किए जाने के आधार पर ताप विद्युत संयंत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानकों और विनिर्दिष्ट जल उपभोग को प्रकाशित किया था।

और जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 को प्रस्तुत की गई यथा संशोधित योजना के अनुसार विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2022 तक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण संस्थापित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 7 दिसंबर, 2017 के फा.सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू द्वारा निदेश दिए।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभ्यावेदन किया है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के उन्नत होने के साथ ही ताप विद्युत संयंत्र दहन प्रक्रिया से उत्पन्न फ्लाई-ऐश का पता लगाने में बेहतर उपकरणों से सुसज्जित हुए हैं और बिना धुला कोयला अधिक कुशलता और मितव्ययता से प्रयोग किया जा सकता है; ताप विद्युत संयंत्रों को राख अवयवों की विभिन्न किस्मों के साथ कोयले के लिए डिजाइन किया गया है और इनमें सूखी राख (ड्राई ऐश) निकालने, उसका रखरखाव करने और राख के उपयोग के लिए आपूर्ति प्रणालियों को उपलब्ध कराया गया है; धुले कोयले के उपयोग से बिजली उत्पादन महंगा हो जाता है; ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न फ्लाई-ऐश सीमेंट निर्माण, ईंटें बनाने, सड़क बिछाने, खनन के उपरांत रिक्त हुए स्थलों और निचले क्षेत्रों को भरने के लिए बैक-फिल सामग्री जैसे कई लाभकारी उपयोगों के लिए प्रयोग की जा रही है; औसतन ऐश की मात्रा 34% तक बनाए रखने की आवश्यकता उद्योगों को कोयले का आयात करने के लिए प्रेरित करती है जिससे विदेशी मुद्रा इत्यादि का बहिर्वाह (आऊटफ्लो) होता है।

और जबकि, कोयला मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यावेदन किया है कि कोयला खानें वर्षों से कच्चे कोयले की गुणवत्ता, आकार और बाहरी सामग्री में सुधार के लिए निरंतर कड़े प्रयास कर रही हैं जिससे सभी संबंधित उपकरणों की टूट-फूट में उल्लेखनीय कमी आई है, कोयला धुलाई प्रक्रिया में कई प्रकार का रखरखाव होता है और कोयला खानों से धुलाई-स्थलों (वाशरीज़) तक कोयले की बड़ी मात्रा को सड़क द्वारा ले जाने और फिर आगे

विद्युत संयंत्रों तक ले जाने के लिए रेल साइडिंग्ज़ तक ले जाने से बचना; धुलाई की प्रक्रिया केवल कोयले को धुले हुए कोयले और वाशरी अवशिष्ट में बॉटती है जबकि खनित कोयले की राख की मात्रा वही रहती है; निम्न श्रेणी कोयला वाशरी अवशिष्ट कई छोटे उपयोगकर्ता उद्योगों में, अधिक प्रदूषण आदि सृजित करते हैं।

और जबकि, कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय ने इसलिए अनुरोध किया है कि दिनांक 2 जनवरी, 2014 की अधिसूचना पर पुन: विचार द्वारा, विद्युत संयंत्रों को धुले हुए कोयले के प्रयोग के लिए अधिदेशित करने पर गौर किया जाना अपेक्षित है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोयले की लंबी दूरी की ढुलाई के लिए बिजली के उत्पादन में आसानी होगी।

और जबकि, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वाशरीज़, कोयला खनन, परिवहन और विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत की दृष्टि से इस विषय का विश्लेषण करने के बाद अन्य बातों के साथ-साथ संक्षिप्त में यह अभ्यावेदन किया है कि समीपवर्ती उद्योगों में वाशरी अवशिष्ट का इस्तेमाल अधिक प्रदूषण पैदा करता है; चूंकि वाशरी अवशिष्ट अनेक छोटे उद्योगों में वितरित होते हैं, इसलिए विद्युत संयंत्र पर उत्पन्न प्रदूषण की तुलना में अनेक स्थलों पर उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करना अधिक कठिन होता है; धुलाई प्रक्रिया में उत्पन्न राख (ऐश) कोयला कणों के साथ-साथ पानी को भी प्रदूषित करती है और इसका लाभकारी उपयोग नहीं किया जा सकता, कोयला धुलाई प्रक्रिया में पानी का अधिक प्रयोग होता है, अपशिष्ट सृजन होता है; वाशरी अवशिष्ट के निपटान का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव होता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में निम्न श्रेणी कोयला अवशिष्ट, तरल अपशिष्ट प्रवाह, कोयला भण्डारण, कोयला मिट्टी का रखरखाव, अपवाह और उड़ने वाली धूल का रखरखाव और निपटान करना होता है, कोयला धुलाई का स्थलाकृति, जल निकास स्वरूप और गुणवत्ता, जल निकायों, बड़े पैमाने पर प्रतिवेशी वायु गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; धुलाई प्रक्रिया से विद्युत उत्पादन की लागत में भी वृद्धि होती है जिसका कोई पर्यावरणीय लाभ इत्यादि भी नहीं होता।

और जबकि, नीति आयोग ने इसलिए सिफारिश की है कि पर्यावरणीय और प्रदूषण मानकों का निर्धारण करना और उन्हें लागू करना विवेकपूर्ण होगा; जिन्हें कोयले में ऐश की मात्रा प्रतिबंधित किए जाने के बजाए, परिवहन दूरी के आधार पर विद्युत उत्पादकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

और जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय के अभ्यावेदनों, नीति आयोग और कई हितधारकों की रिपोर्ट पर विवेचन करने तथा सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद एवं जनहित में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा है—

i) खनित कोयले में ऐश सामग्री की मात्रा समान रहती है। वाशरी से ऐश सामग्री दो स्थानों (वाशरी और विद्युत संयंत्र) में विभाजित हो जाती है जबकि बिना धुला कोयला विद्युत संयंत्र में प्रयोग किया जाता है, ऐश सामग्री का निपटान केवल एक स्थान अर्थात विद्युत संयंत्र में किया जाता है;

ii) ताप विद्युत संयंत्र प्रदूषण नियंत्रण, ऐश प्रबंधन के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित होते हैं क्योंकि उनमें फ्लाई-ऐश का निराकरण करने के लिए उच्च क्षमता वाले उपकरण होते हैं, ड्राई ऐश निष्क्रमण और हैंडलिंग सिस्टम, ऐश उपयोग के लिए सप्लाई सिस्टम और फ्लू गैसों को तितर-बितर करने के लिए बड़े टाल (स्टैक) होते हैं;

iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं जिनमें क्रमश: ताप विद्युत संयंत्रों को समयबद्ध रीति से इन मानकों का पालन करने के लिए अधिदेशित किया गया है;

और जबकि, फ्लाई ऐश प्रबंधन और विभिन्न स्तरों पर बिना धुले कोयले के संसाधन के दौरान उत्पन्न अन्य संबंधित पर्यावरणीय पहलुओं सहित बिना धुले कोयले की हैंडलिंग के लिए यथासंभव उत्कृष्ट कार्यढांचे को अपनाना समयोचित है।

और जबकि, कोयला मंत्रालय ने अभ्यावेदन किया है कि मौजूदा अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी और इसके फलस्वरूप देश में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला क्षेत्र की मांग को प्रोत्साहित कर घरेलू कोयले के उपयोग की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए यह वांछनीय है कि तत्काल अधिसूचना जारी की जाए।

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के भाग (अ) के तहत सूचना देने की अनिवार्यता को हटा देने के उपरांत जनहित में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 को आगे संशोधित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियमावली, 2020 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी गज़ट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 में, नियम 3 में, उपनियम (8) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :-

"(8) ताप विद्युत संयंत्रों को, ऐश सामग्री अथवा दूरी संबंधी अनुबंधों के बिना, निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन कोयले के प्रयोग की अनुमति होगी:

(1) उत्सर्जन मानदण्डों के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान निर्धारित करना:

i. वर्तमान अधिसूचनाओं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार विविक्त सामग्री के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन करना।

ii. वाशरी के मामले में मिडलिंग और अवशिष्टों का एफबीसी(तरलीकृत तल दहन) प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जाए। एफबीसी संयंत्रों में मिडलिंग और अवशिष्टों के लिए वाशरी में संयोजन (लिंकेज) होना चाहिए।

2. ऐश पॉन्ड का प्रबंधन:

i. ताप विद्युत संयंत्र धुले हुए कोयले से बिना धुले हुए कोयले पर स्विच करने के कारण फ्लाई-ऐश पॉन्ड(मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता) की अतिरिक्त क्षमता की पात्रता प्राप्त किए बिना, समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में यथा-अधिसूचित शर्तों का पालन करें।

ii. ऐश प्रबंधन के लिए जल की खपत को अनुकूल करने हेतु समुचित प्रौद्योगिकी समाधान लागू हों;

iii. यदि आवश्यक हो तो फ्लाई-ऐश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थल विशिष्ट स्थितियों के आधार पर ऐश का पृथक्करण इलैक्ट्रो-स्टेटिक अवक्षेपक (प्रेसीपिटेटर) स्तर पर किया जाए।

iv. ताप विद्युत संयंत्र उपर्युक्त 2(i) के अध्याधीन, छोड़ी हुई अथवा चालू खानों (वर्किंग माइन्स) में (खान मालिकों द्वारा सुविधाजनक बनाया जाए) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ फ्लाई-ऐश का निपटान करें।

3. परिवहन:

i. ढके हुए रेलवे वैगन (तिरपाल अथवा किसी अन्य माध्यम से ढके हुए रेलवे वैगन) और/अथवा खान-क्षेत्र से परे ढके हुए वाहक (कन्वेयर) द्वारा ही कोयले का परिवहन किया जाए। तथापि, जब तक रेल परिवहन/वाहक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं हो जाता, सड़क परिवहन ट्रकों द्वारा किया जाए जो तिरपाल अथवा किसी अन्य माध्यम से ढके हुए हों।

ii. ताप विद्युत संयंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि

(क) रेल अथवा कन्वेयर द्वारा परिवहन के लिए विद्युत संयंत्र में अथवा इसके समीप रेल साइडिंग सुविधा अथवा कन्वेयर सुविधा स्थापित हो; और

(ख) यदि रेल अथवा कन्वेयर सुविधा की अनुपलब्धता के कारण परिवहन न हो पाए, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित खान के डिलीवरी स्थान से कोयले का परिवहन ढके हुए ट्रकों (तिरपाल अथवा किसी अन्य माध्यम द्वारा), अथवा किसी अन्य यंत्रीकृत बंद ट्रक से सड़क द्वारा हो।

(4) इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 और उसके बाद के लिए संबंधित परियोजनाओं हेतु संगत पर्यावरणीय स्वीकृति की अतिरिक्त शर्तें भी समझा जाएगा। मौजूदा पर्यावरणीय स्वीकृतियों को संशोधित किया जाएगा ताकि संगत क्षेत्रों के लिए उपरोक्त शर्तों को प्रवर्तनशील बनाया जा सके। तदनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रचालन की अनुमति जारी की जाएगी।

[फा.सं. 13014/01/2020–आईए-I(टी)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र में सं.का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं.का.आ. 82(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987; का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988; सा.का.नि. 931(अ), तारीख 27 अक्तूबर,1989; का.आ. 23(अ), तारीख 16 जनवरी, 1991; सा.का.नि. 95(अ), तारीख 12 फरवरी, 1992; सा.का.नि. 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992; सा.का.नि. 562(अ), तारीख 27 मई, 1992; सा.का.नि. 884(अ), तारीख 20 नवंबर, 1992; सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 1993; सा.का.नि. 422 (अ), तारीख 19 मई, 1993; सा.का.नि. 801 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 1993; सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 16 मार्च, 1994; सा.का.नि. 560 (अ), तारीख 19 सितंबर, 1997; सा.का.नि. 378 (अ), तारीख 30 जून, 1998; सा.का.नि. 07 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 1998; सा.का.नि. 407 (अ), तारीख 31 मई, 2001; सा.का.नि. 826 (अ), तारीख 16 नवंबर, 2009; सा.का.नि. 513 (अ), तारीख 28 जून, 2012; सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 02 जनवरी, 2014; का.आ. 3305 (अ), तारीख 07 दिसंबर, 2015; सा.का.नि. 593 (अ), तारीख 28 जून, 2018; और का.आ. 236 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2020 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

S.O. 1561(E).—Whereas the Central Government had, in exercise of its powers under Section 3, Section 6 and Section 25 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986, published draft rules further to amend sub-rule (8) of rule 3 of Environment (Protection) Rules, 1986, in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 02(E), dated the

2nd January, 2014 mandating certain categories of thermal power plants to use coal with ash content restricted to 34%.

And whereas, the said Notification *vide* number G.S.R. 02(E) dated the 2nd January, 2014, mandated coal based thermal power plants to use raw or blended or beneficiated coal with ash content not exceeding thirty-four percent (34%), on quarterly basis, by the time lines given below:

Sl. No.	Category of Power Plant	Distance of location of Thermal Power Plant from pit-head/coal mine	Time lines
(a)	Stand-alone Thermal Power Plants (any capacity), and Captive Thermal Power Plants (with capacity of 100 MW and above)	Located in urban areas, or ecologically sensitive areas or critically polluted areas, irrespective of distance from pit-head, except pit-head power plants.	With effect from 2nd June, 2014.
(b)		beyond 1000 km	With effect from 2nd June, 2014.
(c)		between 750-1000 km	With effect from 1st January, 2015.
(d)		between 500-749 km	With effect from 5th June, 2016.

And whereas, the Central Government had, in exercise of its powers under sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 3305 (E), dated the 7th December, 2015 and G.S.R. 593 (E), dated the 28th June, 2018 published the emission standards and specific water consumption for various category of thermal power plants, based on capacity of power generation and date of installation of power plant and to be achieved in time bound manner.

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change directed the Central Pollution Control Board vide F.No.Q-15017/40/2007-CPW dated the 7th December, 2017 to issue Directions under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986, to various Thermal Power Plants to install pollution control equipment as per the revised plan submitted by the Ministry of Power dated the 13th October, 2017 by 2022.

And whereas, the Ministry of Power has, *inter alia*, represented that with advancement in pollution control technologies, thermal power plants are better equipped to capture fly-ash generated in combustion process and unwashed coal can be used more efficiently and economically; thermal power plants are designed for coal with wide variety of ash content and are equipped with dry ash evacuation, handling and supply systems for ash utilisation; using washed coal makes power generation costlier; fly ash generated in thermal power plants is being used in several beneficial uses like cement manufacturing, brick making, road laying, back-fill material for reclamation of mine voids and low lying areas; requirement of maintaining average ash content to 34% prompts industries to undertake import of coal, resulting in outflow of foreign exchange etc.

And Whereas, the Ministry of Coal has, *inter alia*, represented that the coal mines are constantly striving to improve raw coal in terms of quality, size and extraneous material over the years which has considerably reduced wear and tear of all related equipment, coal washing process involves multiple handling and avoidable road transportation of huge quantities of coal from coal mines to washeries and then to rail sidings for onward transport to power plants; the washing process only divides the coal into washed coal and washery rejects while the ash content of mined coal remains the same; use of low grade coal washery rejects, in the multiple small user industries, generates more pollution etc.

And Whereas, the Ministry of Coal and Ministry of Power have, therefore, represented that the mandating power plants to use washed coal requires to be revisited by reconsidering the notification dated the 2nd January, 2014 which will help ease power generation for long distance haulage of coal without adverse impact on the environment.

And Whereas, the NITI Aayog, in its report after analysing the issue from the perspective of washeries, Coal mining, transportation and consumption of coal at power plants has, *inter alia*, summed up that use of washery rejects in nearby industries generates more pollution; since washery rejects are distributed in number of smaller industries, the pollution control at numerous points is more difficult than controlling the

pollution at power plant end; Ash generated in the washing process pollutes water along with coal particles and cannot be gainfully utilised; Coal washing process involves increased water use, effluent generation; Disposal of washery rejects has negative environmental impact as it has to handle and dispose huge quantity of low grade coal washery rejects, liquid effluent streams, coal storage, handling coal dust, runoff and fugitive dust; Coal washing also adversely impacts topography, water drainage pattern and quality, water bodies, surrounding air quality at large scale; Washing process increases the cost of power generation with no commensurate environmental advantages etc.

And Whereas, NITI Aayog has, therefore, recommended that it may be prudent to determine and enforce the environmental and pollution norms, to be complied with by the power generators, rather than restricting the ash content in coal, based on distance of transportation.

And Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, after deliberating the representations from Ministry of Power, Ministry of Coal, report of NITI Aayog and various stakeholders and after careful considerations & in larger public interest, arrived at the following:

(i) The extent of ash content in mined coal remains the same. With washeries, the ash content gets divided at two places (washeries and the power plant), whereas if unwashed coal is used in power plant, the ash content is handled at only one place viz. the power plant;

(ii) Thermal power plants are technologically equipped to address pollution control, ash management as they have high efficiency equipment to capture fly ash, dry ash evacuation and handling systems, ash supply systems for ash utilisation and tall stacks for wider dispersal of flue gases;

(iii) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified emission norms, mandating respective thermal power plants to adhere to such norms in a time bound manner;

And Whereas, it is expedient to adopt best possible framework towards handling of unwashed coal including management of fly ash and other associated environmental aspects arising out of processing of unwashed coal at different stages.

And Whereas, the Ministry of Coal has represented that in view of the existing unprecedented COVID-19 pandemic and the resultant immediate requirement of utilization of domestic coal by stimulating coal sector demand for power generation in the country, it is desirable to issue the notification at the earliest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3, Section 6 and Section 25 of the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following rules to further amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2020

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 3, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(8) Use of coal by Thermal Power Plants, without stipulations as regards ash content or distance, shall be permitted subject to following conditions:

(1) **Setting Up Technology Solution for emission norms:**

   (i) Compliance of specified emission norms for Particulate Matter, as per extant notifications and instructions of Central Pollution Control Board, issued from time to time.

   (ii) In case of washeries, Middling and rejects to be utilized in FBC (Fluidised Bed Combustion) technology based thermal power plants. Washery to have linkage for middling and rejects in Fluidised Bed Combustion plants.

(2) **Management of Ash Ponds:**

   (i) The thermal powers plants shall comply with conditions, as notified in the Fly Ash notification issued from time to time, without being entitled to additional capacity of fly ash pond (for existing power generation capacity) on ground of switching from washed coal to unwashed coal.

   (ii) Appropriate Technology solutions shall be applied to optimise water consumption for Ash management;

(iii) The segregation of ash may be done at the Electro-Static Precipitator stage, if required, based on site specific conditions, to ensure maximum utilization of fly ash;

(iv) Subject to 2(i) above, the thermal power plants to dispose flyash in abandoned or working mines (to be facilitated by mine owner) with environmental safeguards.

(3) **Transportation:**

(i) Coal transportation may be undertaken by covered Railway wagon (railway wagons covered by tarpaulin or other means) and/or covered conveyer beyond the mine area. However, till such time enabling Rail transport/conveyer infrastructure is not available, road transportation may be undertaken in trucks, covered by tarpaulin or other means.

(ii) It shall be ensured by the thermal power plant that

a. Rail siding facility or conveyor facility is set up at or near the power plant, for transportation by rail or conveyor; and

b. If transportation by rail or conveyor facility is not available, ensure that the coal is transported out from the Delivery Point of the respective mine in covered trucks (by tarpaulin or other means), or any mechanized closed trucks by road.

(4) This shall also be deemed to be additional conditions of the relevant Environmental Clearances for respective projects for financial year 2020-21 and onwards. The existing Environmental Clearances shall stand modified so as to make the above conditions operative for relevant sectors. The Consent to Operate shall be issued by respective State Pollution Control Boards accordingly."

[F.No.13014/01/2020-IA.I(T)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November,1986 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 82(E), dated 16th February, 1987; S.O. 64(E), dated18th January, 1988; G.S.R. 931(E), dated 27th October, 1989; S.O. 23(E), dated 16th January, 1991; G.S.R. 95(E), dated 12th February, 1992; G.S.R.329(E), dated 13th March, 1992; G.S.R. 562(E), dated 27th May, 1992; G.S.R. 884(E), dated 20th November, 1992; G.S.R. 386(E), dated 22nd April, 1993; G.S.R. 422(E), dated 19th May, 1993; G.S.R. 801(E), dated 31st December, 1993; G.S.R. 320(E), dated 16th March, 1994; G.S.R. 560(E), dated 19th September, 1997; G.S.R. 378(E), dated 30th June, 1998;G.S.R. 7(E), dated 22nd December, 1998; G.S.R. 407(E), dated 31st May, 2001; G.S.R. 826(E), dated 16th November, 2009; G.S.R. 513(E), dated 28th June, 2012; G.S.R. 02(E) dated 2nd January, 2014; S.O. 3305 (E), dated 7th December, 2015; G.S.R. 593(E), dated 28th June, 2018 and S.O. 236 (E), dated 16th January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

ANNEXURE 5

ITEM NO.58 COURT NO.13 SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021

(Arising out of impugned final judgment and order dated 08-08-2022 in C.A. No. 6249/2021 passed by the Supreme Court of India)

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LIMITED (NTPC) Petitioner(s)

VERSUS

TRIPURARI SINGH & ORS. Respondent(s)

(IA No. 155852/2023 - EXTENSION OF TIME and IA No. 192404/2023 - GRANT OF INTERIM RELIEF)

Date : 20-10-2023 This matter was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE J.K. MAHESHWARI
HON'BLE MR. JUSTICE K.V. VISWANATHAN

For Petitioner(s)
Mr. Tushar Mehta, Solicitor General
Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.
Mr. Shailesh Madiyal, AOR
Mr. Sudhanshu Prakash, Adv.
Mr. Vaibhav Sabharwal, Adv.
Mr. Akshay Kumar, Adv.
Ms. Divija Mahajan, Adv.

For Respondent(s)
Mr. Vikramjeet Banerjee, A.S.G.
Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR
Mr. Piyush Beriwal, Adv.
Mr. S K Gupta, Adv.
Ms. Nidhi Khanna, Adv.
Ms. Chinmaee Chandra, Adv.
Mr. Rajesh Kumar Singh, Adv.
Mr. Ishaan Sharma, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

By this application, the National Thermal Power Corporation Limited has made the following prayer:

> "a) Allow the present application; and
> b) Extend the timeline for completion of the entire Coal Conveying System facilities /CHP [from mine to Railway siding] at Appellant's Pakri Barwadih Coal Mine Project, Barkagaon, Hazaribag, until 31st December, 2024"

Earlier, this Court by its order on 08.08.2022 had extended the timeline for completion of the construction of the conveyor belt till 31.10.2023.

When the application was taken up, response from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as 'MoEF&CC' for brevity) was called for. MoEF&CC has filed an affidavit dated 13.10.2023 wherein after setting out the background, in para 18 they have averred as under:

> "18. That, however, it is pertinent to mention here that the Sectoral Expert Appraisal Committee i.e., EAC appraises proposal for amendment in EC as per the merits of each case subject to observance of applicable environmental safeguards. Applications for extension in timeline for installing mechanized systems are appraised under the category of amendment in EC. As per the direction of the Hon'ble Supreme Court, Ministry can have the instant matter, seeking extension in timeline for installation of mechanized coal transportation system, appraised afresh by the Sectoral EAC upon receipt of such application for amendment in EC. The outcome of such an appraisal shall be made available to the Project Proponent for any further direction regarding the matter by Hon'ble Supreme Court."

MA No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021

Having considered the averments made in the application and the reply of MoEF&CC, we extend the timeline fixed by the order of this Court dated 08.08.2022, till 31.01.2024.

In the meantime, we also give liberty to the applicant to file an appropriate application for amendment of the Environmental Clearance Certificate (EC). On the filing of such an application, MoEF&CC through the Sectoral Expert Appraisal Committee i.e., EAC shall appraise the matter afresh.

The outcome of the appraisal may be placed before this Court after information to the Project Proponent.

List the matter on 29th January, 2024.

(NIDHI AHUJA) AR-cum-PS	(VIRENDER SINGH) BRANCH OFFICER

ITEM NO.39 COURT NO.9 SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LIMITED (NTPC) Petitioner(s)

VERSUS

TRIPURARI SINGH & ORS. Respondent(s)

IA No. 155852/2023 - EXTENSION OF TIME
IA No. 192404/2023 - GRANT OF INTERIM RELIEF

Date : 29-01-2024 This matter was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE J.K. MAHESHWARI
HON'BLE MR. JUSTICE SANJAY KAROL

For Petitioner(s) Mr. Tushar Mehta, Solicitor General
Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G.
Mr. Adarsh Tripathi, AOR
Mr. Vikram Singh Baid, Adv.
Mr. Ajitesh Garg, Adv.

For Respondent(s) Mr. Anand Varma, AOR
Ms. Adyasha Nanda, Adv.

Mr. Shivam Kumar, Adv.
Mr. Vaibhav Prasad Deo, Adv.
Ms. Mudita Arora, Adv.
M/S. Qua Legal, AOR

Mr. Piyush Beriwal, Adv.
Mr. S K Gupta, Adv.
Ms. Nidhi Khanna, Adv.
Ms. Chinmaee Chandra, Adv.
Mr. Rajesh Kumar Singh, Adv.
Mr. Ishaan Sharma, Adv.
Ms. Muskan Gupta, Adv.
Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

I.A.No. 155852 of 2023

Having heard learned Solicitor General appearing for the petitioner – NTPC and learned counsel appearing for the respondents,

we are of the considered view that in view of the averments made in the application for extension of time i.e. I.A. No. 155852 of 2023, the time as fixed vide our order dated 20.10.2023 is required to be extended till 31.12.2024. Ordered accordingly.

In view of the above, Misc. Application No. 1824 of 2023, along with I.A. No. 155852 of 2023, is, accordingly, disposed of.

(JAYANT KUMAR ARORA)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(VIRENDER SINGH)
BRANCH OFFICER

ANNEXURE 6

झारखण्ड सरकार
जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग।
(e-mail id- dmo-hazaribagh@jharkhandmail.gov.in)
पत्रांक : 965 / खनन, हजारीबाग, दिनांक 12/6/2023

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
पी० जी० पोर्टल।

विषय :– PG Portal का शिकायत निबंधन संख्या DARPG/E/2021/15069 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, शिकायत निबंधन संख्या DARPG/E/2021/15069 के द्वारा शिकायतकर्त्ता द्वारा सूचित किया गया है कि एन0टी0पी0सी0 के पकरीबरवाडीह कोल प्रोजेक्ट में गैर व्यवसायिक वाहनों से कोयला प्रेषण करने के बावत तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दर्ज किये गये प्राथमिकी के संबंध में बताया गया है कि उक्त प्राथमिकी संबंधित थाना द्वारा दर्ज नहीं किया गया है।

इस संबंध में सूचित करना है कि एन0टी0पी0सी0 के पकरीबरवाडीह कोयला खनन परियोजना अन्तर्गत गैर व्यवसायिक वाहनों यथा थ्री व्हीलर, मोटर कार एवं मोटर साईकिल से कोयला प्रेषण किये जाने के बावत तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी, द्वारा पत्रांक 27, दिनांक 07.01.19 द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी, बड़कागाँव को पत्र प्रेषित किया गया है। थाना प्रभारी द्वारा उक्त प्राथमिकी का काण्ड संख्या उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पुनः कार्यालय पत्रांक 248, दिनांक 05.03.19 द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए थाना काण्ड संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। (थाना द्वारा प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न)

वर्त्तमान में उक्त दर्ज प्राथमिकी के बावत अद्यतन स्थिति की जानकारी थाना प्रभारी, बड़कागाँव/पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, हजारीबाग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन
12.6.2023
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

जिला खनन कार्यालय हजारीबाग।

पत्रांक 27 /खनन, हजारीबाग, दिनांक 07.01.2019

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

सेवा मे,

थाना प्रभारी,
बड़कागाँव थाना,
हजारीबाग।

विषय : अव्यवसायिक वाहनो से कोयला खनिज प्रेषण/परिवहनकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय पत्र (निदेशक खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2548/एम0, राँची, दिनांक 09.10.2018) द्वारा के आलोक मे JIMMS प्रणाली के अन्तर्गत कोयला के ई–परिवहन चालान मे अनियमितता पायी गई है। सलग्न सूची के अनुसार भिन्न–भिन्न कम्पनियों द्वारा Non-Commercial वाहन यथा थ्री व्हील पैसेंजर, मोटर कार एवं मोटर साईकिल आदि से मेसर्स एन0 टी0 पी0 सी0 परियोजना से कोयला प्राप्त कर परिवहन करने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :–

Sl.	Vehicle No.	Consigner Name	Challan No.	Vehicle Type
1	JH 05 AC 1320	BANADAG RAILWAY SIDING	112	Three wheeler passenger
2	JH 05A 2828	BANADAG RAILWAY SIDING	250	Motor Car
3	JH 02AQ 1170	BANADAG RAILWAY SIDING	13	Motor Cycle
4	JH 05A 0689	BANADAG RAILWAY SIDING	210	Motor Cycle
5	JH 05A 2618	BANADAG RAILWAY SIDING	364	Motor Cycle
6	JH 05A 2619	BANADAG RAILWAY SIDING	428	Motor Cycle
7	JH 05AC 9791	BANADAG RAILWAY SIDING	316	Motor Cycle
8	JH 05A 2622	BANADAG RAILWAY SIDING	419	Motor Cycle
9	JH 05AC 1359	BANADAG RAILWAY SIDING	150	Motor Cycle
10	JH 05AC 1502	BANADAG RAILWAY SIDING	270	Motor Cycle
11	JH 02AE 9031	BANADAG RAILWAY SIDING	4	Motor Cycle
12	JH 02AF 0526	BANADAG RAILWAY SIDING	2	Motor Cycle

प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स एन0 टी0 पी0 सी0 परियोजना को कोयला आपूर्ति हेतु बिक्री आदेश (Dispatch Order) निर्गत किया जाता है। Delivery Order Holder/Transporters/Lifters द्वारा जिन गाड़ियो का इस्तेमाल किया गया है, उसका नम्बर थ्री व्हील पैसेंजर, मोटर कार एवं मोटर साईकिल इत्यादि वाहन पाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जो स्पष्ट रूप से अवैध है। The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 5 (ii) प्रावधानों के तहत उक्त व्यक्तियो द्वारा कोयला परिवहन हेतु व्यवसायिक वाहनो के नाम पर यथा थ्री व्हील पैसेंजर, मोटर कार एवं मोटर साईकिल इत्यादि के नम्बर का पंजीकृत कर अवैध रूप से परिवहन चालान का उपयोग करते हुए कोयला खनिज का प्रेषण/परिवहन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि जाँचोपरान्त उक्त अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियो/कम्पनियो पर उपरोक्त वर्णित नियम एवं अन्य सुसंगत नियमो एवं धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

नाम–श्री नितेश कुमार गुप्ता,
पिता–श्री निरंजन प्रसाद गुप्ता,
ग्राम– कतरास मोड़ पो0– झरिया,
थाना– झरिया, जिला– धनबाद।

CamScanner

जिला खनन कार्यालय हजारीबाग।

पत्रांक 248 /खनन, हजारीबाग, दिनांक 05/03/19

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

सेवा में,

थाना प्रभारी,
बड़कागाँव थाना,
जिला- हजारीबाग।

विषय — थाना काण्ड संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 27, दिनांक 07.01.2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा खनिज परिवहन मे प्रयुक्त अवैध अव्यवसायिक वाहनो की सूची सहित प्राथमिकी दायर करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका थाना काण्ड संख्या अभी तक अप्राप्त है।

विदित हो कि दिनांक 06.03.2019 को सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति के साथ Video Conferencing आयोजित है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित दर्ज प्राथमिकी का थाना काण्ड संख्या अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब e-mail- hazaribaghamo@gmail.com द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

Rcd
06/03/19
समय 7.20 बजे

CamScanner

ANNEXURE 7

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग
☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक :– 3659 / दिनांक :– 18/10/2021

सेवा में,

अपर महाप्रबंधक,
कोयला प्रेषण विभाग,
एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड,
कोयला खनन परियोजना,
सिकरी बड़कागांव, हजारीबाग ।

विषय :– निर्गत परिवहन अनुज्ञा पत्र में पाये गए विसंगतियों के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि आपके पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति (Counter file) का दिनांक 30.08.2021 एवं 31.08.2021 का कुछ प्रतियों का औचक (random) जाँच में बहुत प्रकार की विसंगतियां पायी गई जो कि परिवहन अनुज्ञा पत्र नियमन के विरूद्ध है एवं अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:–

(1) परिवहन अनुज्ञापत्र JHAA112501 से JHAA1125700 तक काटे गए परिवहन अनुज्ञा पत्र आपके पत्रांक 1040/PBCMP/CD/2020/913 दिनांक 19.10.2020 से प्राधिकृत किया गया कोई भी स्पेसिमेन हस्ताक्षर से नहीं मिलता है, जो आपके पत्रांक 1040(PCCMP)C.D/2020/913 दिनांक 19.10.2020 के प्रसांगिकता को अवैध ठहरता है एवं इस प्रकार का कृत्य वन अपराध के श्रेणी में आता है।

(2) परिवहन अनुज्ञा पत्र के लोडिंग पांईन्ट से डिसटीनेसन पॉईन्ट तक की अधिकतम दूरी 30 कि0मी0 है, इस दूरी के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र मान्य रहने का अधिकतम समय 6 घण्टा होना चाहिए, जबकि कुछ अनुज्ञा पत्रों में अनुज्ञा पत्र मान्य रहने का समय 24 घण्टा से 30 घण्टा तक दिया गया है, जो सही नहीं है। किसी भी परिस्थिति में परिवहन अनुज्ञा पत्र से वैधता की अवधि 6 घंटे से अधिक नहीं रखा जाय। आपके पदाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित अनुज्ञा पत्रों परिवहन अनुज्ञा पत्र संख्या– JHAA1125667, JHAA1125669 से लगातार JHAA115686 एवं परिमिट संख्या

Attested by
[signature] 07/03/2022
Asstt. Conservator of Forest
Hazaribag West Forest Division

JHAA1125692 तक सभी में इसके मान्य रहनें का समय 24 घण्टा से 30 घण्टा दिया गया है, जो नियमानुसार मान्य नहीं है।

(3) परिवहन अनुज्ञा पत्र के कंडिका– 8 में किस प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा परिवहन अनुज्ञा पत्र काटा गया है का उल्लेख नहीं होना भी नियमानुकुल नहीं है। इस संबंध में भविष्य में नाम के साथ स्टाम्प का प्रयोग किया जाय।

(4) परिवहन अनुज्ञा पत्र JAAA1125501 to JHAA1125550 में परमिट संख्या JHAA1125501 से JHAA1125527 तक दिनांक 31.08.2021 को 11:16 A.M. में काटना एवं बाद के परमिट संख्या JHAA1125528 से 550 तक में दिनांक 31.08.2021 को ही 05:04 बजे से काटना विधि सम्मत नहीं है। एक ही तिथि को बाद के परिवहन अनुज्ञा पत्र में पहले का समय देने का औचित्य को कृपया बताने की कृपा करें।

परिहवन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने में उपरोक्त विसंगतियाँ अनेकों परिमिट में है। अनुरोध है कि भविष्य में परमिट निर्गत करते समय इन विसंगतियों को निराकरण कर परमिट निर्गत किया जाय। यदि भविष्य में इन त्रूटियों का निराकरण नहीं किया जाता है तो वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी की बाध्यता होगी। अतः कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

Attested by
02/05/2022
Asstt. Conservator of Forest
Hazaribag West Forest Division

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ANNEXURE 8

सेवा में

श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी
पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग

Recieved
18.12.2020

विषय :- संगीता सेल्स ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा वन भूमि व घनी आबादी वाले ग्रामीण सड़कों से डीपीआर का उल्लंघन कर अवैध ट्रांसपोर्टिंग करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय सादर सूचित करना है कि बड़कागांव में एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए संगीता सेल्स कंपनी द्वारा त्रिवेणी सैनिक कंपनी के माईनिंग प्वाइंट से कटकमदाग रेलवे साइडिंग तक कोयला ट्रांसपोर्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान कई घनी आबादी वाले गांव जैसे डाड़ी, चेपा, सिन्दूवारी, नगड़ी, चुरचू, आराहरा से गुजरते हुए बड़कागांव-हजारीबाग मुख्य पथ होते हुए ओदरना घाटी के नजदीक से वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना ही वनभूमि की जमीन पर गलत तरीके से रास्ता बनाकर कटकमदाग रेलवे साइडिंग तक संगीता सेल्स द्वारा कोयला पहुंचाया जाता है। जो पूर्णतः अवैध है। इतना ही नहीं इस मामले में वन विभाग भी मौन है। क्योंकि एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह परियोजना के डीपीआर में एनटीपीसी को कन्वेयर बेल्ट से कटकमदाग तक कोयला ले जाने की स्वीकृति मिली है।

ऐसे में स्वीकृत डीपीआर रुठ का इस्तेमाल न कर संगीता सेल्स द्वारा उपरोक्त रास्ते से अवैध ट्रांसपोर्टिंग करने से घनी आबादी के लोगों को जान-माल के खतरे के साथ प्रदूषण भी फैलता है।आए दिन ट्रांसपोर्टिंग वाहनों से दुर्घटना में लोगों की मौत और घायल होते रहते हैं। वन विभाग के जमीन का इस्तेमाल करने से वन्य-प्राणियों के साथ जंगल का भी नुकसान हो रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है डीपीआर का उल्लंघन कर संगीता सेल्स द्वारा आम लोगों के जान-माल के खतरे सहित वन्य-जीवों के नुकसान को देखते हुए ट्रांसपोर्टिंग किए जाने पर कार्रवाई करने की कृपा करें। न्याय संगत कार्य कर आम जनजीवन के साथ-साथ वन्य जीवों को सुरक्षित किया जाय।

आपका विश्वासी

मन्टु सोनी @ Shanikant
18/12/20

मंटू सोनी उर्फ शनिकांत
बड़कागांव, हजारीबाग।
मो॰ 9504268699

(43)

LNK- JHHZ030006842021
Comp.Case - 29/2021

कार्यालय, वन परिसर पदाधिकारी हजारीबाग वन परिसर।

पत्रांक 38 दिनांक 30.12.2020

सेवा में, Comp Case - 29/2021

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
हजारीबाग।

विषय:- वनरक्षी द्वारा समर्पित वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 2266 दिनांक 30/12/2020
समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

सादर प्रतिवेदन समर्पित करना है कि नानाडाग सुरक्षित वन में अवैध रूप से अतिक्रमण कर पथ चौड़ीकरण करने से संबंधित वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 2266 दिनांक 30/12/2020 वनरक्षी श्री अजय कुमार भारद्वाज के द्वारा समर्पित किया गया है। नानाडाग सुरक्षित वन में अभियुक्तों के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर पथ चौड़ीकरण करने का कार्य किया गया है। ~~सुरक्षित वन में अवैध रूप से काटे गये/खनन किये गये एवं अवैध कार्य में संलिप्त को भारतीय वन अधिनियम सन् 1927 ई0 (बिहार संशोधन-1989) की धारा 52 के तहत विधिवत् जप्त किया गया है।~~ अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम सन 1927 ई0 (बिहार संशोधन-1989) की धारा 33 का उल्लंघन किया गया है। जो संज्ञेय एवं दण्डनीय अपराध है

अतः वनरक्षी द्वारा समर्पित वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 2266 दिनांक 30/12/2020 ~~जप्ती सूची के साथ~~ मूल रूप में संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा प्रदान की जाय। इस काण्ड का अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्ण जांचोपरांत अभियोजन प्रतिवेदन उचित माध्यम द्वारा समर्पित किया जायगा।

अभियुक्तों का नाम

1. प्रशांत कश्यप, अधिशासी निदेशक।
2. राजीव रंजन, अपर महाप्रबंधक।
3. प्रदीप बंसल, संगीता सेल्स Pvt Ltd. transporter।
4. बसंत कुमार पाणी, परियोजना प्रभारी, संगीता सेल्स Pvt Ltd. transporter।
5. श्री त्रिवाणी कोल माइन्स परियोजना बड़कागांव (हजारीबाग)।

अनुलग्नक

1. वनरक्षी का अपराध प्रतिवेदन संख्या - 2266
दिनांक 30/12/2020
2. जप्ती सूची
3.

आपका विश्वासी,
राम चन्द्र प्रसाद
30.12.2020.
वन परिसर पदाधिकारी
हजारीबाग वन परिसर।

(44)

Form No. 21 A

06

Forest & Environment Dept. Jharkhand

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड हजारीबाग पश्चिमी Division.

थाना - कटकमदाग डिवीजन।

Note:- This report is to be submitted within 24 hours of the detection

नोट :– यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence report No.......................... Date.......................

तारीख 30/12/2020

जुर्म नम्बर............................

1. **Place of occurrence** - बानादाग सुरक्षित वन।
घटना स्थल–

2. **Date and hour of detection** - समय – सुबह 10 बजे लगभग।
पकड़ने का समय और तारीख– तारीख – 30/12/2020

3. **Name (s) parentage and residence of offenders** -
नाम अपराधी और उसके पिता का नाम और पता–
(1) प्रशांत कश्यप, अधिशासी निदेशक
(2) राजीव रंजन, अपर महाप्रबंधक
(3) प्रदीप बंसल, संजीता सेल्स Pvt Ltd transport
(4) वसंत कुमार पाणी, परियोजना प्रभारी, संजीता सेल्स Pvt Ltd transporter। सभी पकरी बरवाडीह कोल माइन्स परियोजना [illegible]

4. **Property seized, if any**- X
जप्ती माल, अगर कोई–

5. **Custody of seized, property** - X
जप्ती माल का जिम्मेवार–

6. **Name (s) parentage and residence of witness (es), if any** -
नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता–
(i) श्री बिरेन्द्र कुमार
(ii) श्री चेतन कुमार राम
(iii) श्री [illegible] केसरी

7. **Nature of offence and facts of the case**- भारतीय वन अधिनियम 1927
तफसील और बयान जूर्म (बिहार संशोधन 1990) ... – –

(45)

CNR-JHHZ010004022021
Comp. Case - 35/2021

कार्यालय, वन परिसर पदाधिकारी ..हजारीबाग.......... वन परिसर।

पत्रांक 36 दिनांक 27.12.2020

सेवा में,

Comp. Case - 35/2021

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
हजारीबाग।

विषयः– वनरक्षी द्वारा समर्पित वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 2265 दिनांक 27/12/2020
समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

सादर प्रतिवेदन समर्पित करना है कि कानादाग सुरक्षित वन में अवैध रूप से अतिक्रमण कर पथ चौड़ीकरण करने से संबंधित वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 2265 दिनांक 27/12/2020 वनरक्षी श्री अजय कुमार भारती के द्वारा समर्पित किया गया है। कानादाग सुरक्षित वन में अभियुक्तों के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर पथ चौड़ीकरण करने का कार्य किया गया है। ~~सुरक्षित वन में अवैध रूप से काटे गये/अक्षत किये गये~~ ~~एवं अवैध कार्य में संलिप्त~~ ~~को भारतीय वन अधिनियम सन 1927 ई0 (बिहार संशोधन–1989) की धारा 62 के तहत विधिवत जप्त किया गया है।~~ अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम सन 1927 ई0 (बिहार संशोधन–1989) की धारा 33 का उल्लंघन किया गया है। जो संज्ञेय एवं दण्डनीय अपराध है

अतः वनरक्षी द्वारा समर्पित वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 2265 दिनांक 27/12/2020 ~~जप्ती सूची के साथ~~ मूल रूप में संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा प्रदान की जाय। इस काण्ड का अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्ण जांचोपरांत अभियोजन प्रतिवेदन उचित माध्यम द्वारा समर्पित किया जायगा।

अभियुक्तों का नाम

1. प्रशांत कश्यप, अधिशासी निदेशक
2. राजीव रंजन, अपर महाप्रबंधक
3. प्रदीप बंसल, संगीता सेल्स Pvt Ltd. transporter.
4. अजय कुमार पाठी, परियोजना प्रभारी संगीता सेल्स Pvt Ltd transporter.
5. सभी पता – पकरी बरवाडीह कोल माइन्स परियोजना N.T.P.C. बड़कागाँव हजारीबाग।

अनुलग्नक

1. वनरक्षी का अपराध प्रतिवेदन संख्या – 2265
   दिनांक 27/12/2020
2. जप्ती सूची X
3.

आपका विश्वासी,
राम चन्द्र प्रसाद
27.12.2020
वन परिसर पदाधिकारी
हजारीबाग.. वन परिसर।

2265

VIII Form No. 21 A

Forest & Environment Dept. Jharkhand

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड .... Division.

थाना – बड़कागाँव हजारीबाग पश्चिमी डिवीजन।

Note:- This report is to be submitted within 24 hours of the detection

नोट :– यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence report No............................ Date........................

तारीख 27/12/2020

जूर्म नम्बर..........................

1. Place of occurrence - कानादाग सुरक्षित वन।
   घटना स्थल–

2. Date and hour of detection - समय – अपराह्न 2 बजे लगभग।
   पकड़ने का समय और तारीख– तारीख – 27/12/2020

3. Name (s) parentage and residence of offenders -
   नाम अपराधी और उसके पिता का नाम और पता–
   (1) प्रशांत कश्यप, अधिशासी निदेशक
   (2) राजीव रंजन, अपर महाप्रबंधक
   (3) प्रदीप बंसल, संगीता सेल्स Pvt Ltd. transporter
   (4) बसंत कुमार पाणी, परियोजना प्रभारी, संगीता सेल्स Pvt Ltd transporter।
   सभी पकरी बरवाडीह कोल माइन्स परियोजना N.T.P.C. बड़कागाँव हजारीबाग।

4. Property seized, if any- X
   जप्ती माल, अगर कोई–

5. Custody of seized, property - X
   जप्ती माल का जिम्मेवार–

6. Name (s) parentage and residence of witness (es), if any -
   नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता–
   (1) श्री ओम प्रकाश शर्मा
   (ii) श्री सुजीत टोप्पो (3) श्री ज्योति पासवान
   सभी वनरक्षी हजारीबाग प्रक्षेत्र।

7. Nature of offence and facts of the case- भारतीय वन अधिनियम 1927
   तफसील और बयान जूर्म – बिहार संशोधन 1989 की धारा-33 का उल्लंघन।

Hazaribag West Div./200...-

CNR-JHHZ030000282021
Comp Case-33/2021

कार्यालय, वन परिसर पदाधिकारी हजारीबाग वन परिसर।

पत्रांक 34

दिनांक 24.12.2020

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
हजारीबाग।

Comp Case - 33/2021

विषय:– वनरक्षी द्वारा समर्पित वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 2263 दिनांक 24/12/2020 समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

सादर प्रतिवेदन समर्पित करना है कि बानादाग सुरक्षित वन में अवैध रूप से अतिक्रमण कर पथ चौड़ीकरण करने से संबंधित वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 2263 दिनांक 24/12/2020 वनरक्षी श्री अजय कुमार भगत के द्वारा समर्पित किया गया है। बानादाग सुरक्षित वन में अभियुक्तों के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर पथ-चौड़ीकरण करने का कार्य किया गया है। ~~सुरक्षित वन में अवैध रूप से काटे गये/खनन किये गये~~ एवं अवैध कार्य में संलिप्त ~~को भारतीय वन अधिनियम सन् 1927 ई0 (बिहार संशोधन-1989) की धारा 52 के तहत विधिवत जब्त किया गया है।~~ अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम सन 1927 ई0 (बिहार संशोधन-1989) की धारा 33 का उल्लंघन किया गया है। जो संज्ञेय एवं दण्डनीय अपराध है.

अतः वनरक्षी द्वारा समर्पित वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 2263 दिनांक 24/12/20 ~~जप्ती सूची के साथ~~ मूल रूप में संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा प्रदान की जाय। इस काण्ड का अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्ण जांचोपरांत अभियोजन प्रतिवेदन उचित माध्यम द्वारा समर्पित किया जायगा।

अभियुक्तों का नाम

1. प्रशांत कश्यप, अधिशासी निदेशक
2. राजीव रंजन, अपर महाप्रबंधक
3. प्रदीप बंसल, संगीता सेल्स Pvt Ltd. transporter
4. वसंत कुमार पाठी, परियोजना प्रभारी संगीता सेल्स Pvt Ltd. transporter.
5. सभी पकरी बरवाडीह कोलमाइन्स परियोजना N.T.P.C. बड़कागांव हजारीबाग

अनुलग्नक

1. वनरक्षी का अपराध प्रतिवेदन संख्या – 2263 दिनांक 24/12/2020
2. जप्ती सूची X
3.

आपका विश्वासी,
राम चन्द्र प्रसाद
24.12.2020
वन परिसर पदाधिकारी
हजारीबाग वन परिसर।

(18)

A

...st & Environment Dept. Jharkhand

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड

.... Division.

थाना – कटकमदाग

हजारीबाग पश्चिमी.. डिवीजन।

Note:- This report is to be submitted within 24 hours of the detection

नोट :– यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence report No............................ Date........................

जूर्म नम्बर.............................. तारीख 24/12/2020

1. **Place of occurrence** - अनारक्षित सुरक्षित वन।
   घटना स्थल–

2. **Date and hour of detection** - समय – शाम लगभग 4:30 बजे।
   पकड़ने का समय और तारीख– तारीख – 24/12/2020

3. **Name (s) parentage and residence of offenders** - (1) प्रशांत कश्यप, अधिशाषी निदेशक (2) राजीव रंजन, अपर महाप्रबंधक (3) प्रदीप बंसल, संगीता सेल्स Pvt Ltd transporter (4) बसंत कुमार पाणी, परियोजना प्रभारी संगीता सेल्स pvt Ltd transporter
   नाम अपराधी और उसके पिता का नाम और पता– सभी पकरी बरवाडीह कोल माइन्स परियोजना NTPC बड़कागांव हजारीबाग।

4. **Property seized, if any**- X
   जप्ती माल, अगर कोई–

5. **Custody of seized, property** - X
   जप्ती माल का जिम्मेवार–

6. **Name (s) parentage and residence of witness (es), if any** - (1) श्री विद्या भूषण टेमनी (2) श्री गोपी पासवान
   नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता– वनरक्षी हजारीबाग प्रक्षेत्र

7. **Nature of offence and facts of the case**- भारतीय वन अधिनियम 1927
   तफसील और बयान जूर्म – (बिहार संशोधन 1981) की धारा– 33 का उल्लंघन।

Hazaribag West Div./200...-

(49)

सेवा में,

वन परिसर पदाधिकारी
ललातीलाल वन परिसर

महाशय,

सादर सूचित करना है कि दिनांक 30/11/2020 को सुबह लगभग 10 बजे अपने सहकर्मियों के साथ नियमित वन गश्ती के दौरान [illegible] सुरक्षित वन पहुँचा तो देखा कि पूर्व लाइन वालों से छोटे-छोटे पौधों को रौंदकर लम्बाई तथा लगभग 25-30 फीट चौड़ाई तक पथ को चौड़ाकर लगभग [illegible] इस पथ का इस्तेमाल N.T.P.C के कोयले की ढुलाई के लिए किया जा रहा है। आस-पास मौजूद ग्रामीणों से पूछ-ताछ करने पर पता चला कि यह वन भूमि का अतिक्रमण करके पथ-चौड़ीकरण कर कोयले की ढुलाई का कार्य N.T.P.C. [illegible] के उक्त पथ पर नामजद अभियुक्तों द्वारा किया गया है। द्वारा किया गया यह अवैध कार्य भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-33 का उल्लंघन है जो कि एक संज्ञेय एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि इनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारवाई करने की कृपा की जाए।

वन भूमि क्षति — लम्बाई - लगभग - 350 मी.
चौड़ाई - लगभग - 12-12 फीट
दोनों तरफ।

आपका विश्वासी
अजय कुमार भारती
वनरक्षी
30/11/2020

[illegible]

[illegible] निवेदन करना है कि [illegible] का [illegible]
[illegible] अनुसार [illegible]
[illegible] पहुँचा तो देखा कि
[illegible]
[illegible] उस और
[illegible] के लिए [illegible]
[illegible] करके [illegible]
[illegible] N.T.P.C. [illegible]
[illegible] अभियुक्तों [illegible] किया [illegible]
[illegible] (बिहार संशोधन 1991) की धारा - 33 का
[illegible] एवं दण्डनीय अपराध [illegible]

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इनके विरुद्ध [illegible] कानूनी कारवाई करने की कृपा की जाए।

[illegible] - [illegible] 33 मी०।
- [illegible] 12-12 फीट
[illegible]

आपका विश्वासी
[illegible]
[illegible]
27/12/2020

सेवा में
वन क्षेत्र पदाधिकारी
[illegible] वन क्षेत्र

विषय

[illegible] सूचित करना है कि [illegible] के दौरान [illegible] साथ [illegible] सहकर्मियों के साथ [illegible] देखा कि [illegible] के पास [illegible] [illegible] [illegible] 15-30 फीट चौड़ाई [illegible] किया जा रहा है [illegible] की खुदाई [illegible] अधिक [illegible] पेड़-पौधों की [illegible] प्रतीत होता है कि [illegible] 25 [illegible] भी सकते हैं। आसपास [illegible] कि यह [illegible] [illegible] की खुदाई का कार्य [illegible] [illegible] अभियुक्तों द्वारा किया गया यह [illegible] अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा - 33 का उल्लंघन है जो कि एक संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि [illegible] विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

[illegible] - [illegible] लगभग 30 मी. [illegible] - 12-12 फीट [illegible]

आपका विश्वासी
[illegible]
24/12/2020

ANNEXURE 9

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्रांक–8 / भा०व०से०(आ०)–17 / 2023 1880 व०प० / राँची, दिनांक 20/5/24

प्रेषक,

प्रभाकर ओझा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

तृतीय स्मार

विषयः– श्री सबा आलम अंसारी, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग के विरूद्ध शिकायत के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–4204, दिनांक–07.11.2023, पत्रांक–4680, दिनांक–18.12.2023 एवं पत्रांक–734, दिनांक–01.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग के ई–मेल के आलोक में परिवादी द्वारा श्री सबा आलम अंसारी, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता की जाँच वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल के नियंत्री पदाधिकारी से भिन्न किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच कराकर अपने सुस्पष्ट मंतव्य के साथ प्रस्ताव सहित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि विषयांकित मामले से संबंधित मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची के गै०स०प्रे०सं०–2716, दिनांक–24.04.2024 एवं गै०स०प्रे०सं०–2882, दिनांक–06.05.2024 द्वारा श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग का अभ्यावेदन एवं विभाग का समर्पित उनका ई–मेल दिनांक–23.04.2024 एवं दिनांक–03.05.2024 प्राप्त है। श्री सोनी के उक्त अभ्यावेदन एवं ई–मेल, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी, संताल परगना, दुमका को सम्बोधित करते हुए मामले का विस्तृत अंकन कर सुनवाई हेतु सशरीर उपस्थित होने की छूट देते हुए वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति हेतु अनुरोध से संबंधित हैं।

अतएव, श्री सोनी के वर्त्तमान प्राप्त अभ्यावेदनों की छायाप्रति आवश्यक अग्रेतर कार्यार्थ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित मामले में शीघ्र जाँच पूर्ण कराकर वांछित जाँच प्रतिवेदन अपने सुस्पष्ट मंतव्य सहित अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(प्रभाकर ओझा) 20/05/24
सरकार के अवर सचिव।

अभिप्रमाणित
अवर सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
पत्रांक–8/भा०व०से०(आ०)–17/2023.................... व०प०/राँची, दिनांक...............

प्रेषक,
प्रभाकर ओझा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

प्रथम स्मार

विषयः– श्री साया आलम अंसारी, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग के विरुद्ध शिकायत के संबंध में।
प्रसंगः– श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग का ई–मेल दिनांक–03.10.2023 एवं दिनांक–27.10.2023 तथा विभागीय पत्रांक–4204, दिनांक–07.11.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग के ई–मेल के आलोक में परिवादी द्वारा श्री साया आलम अंसारी, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता की जाँच एक माह (30 दिनों) के अन्दर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल के निकटी पदाधिकारी से भिन्न किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच कराकर अपने सुस्पष्ट मंतव्य के साथ प्रस्ताव सहित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

अतएव पुनः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(प्रभाकर ओझा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–8/भा०व०से०(आ०)–17/2023..4680.. व०प० राँची, दिनांक..18/12/23
प्रतिलिपि :– श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, पिता–श्री राजेश कुमार, बड़कागाँव,

सरकार के अवर सचिव।

(34)

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्रांक–8/भा०व०से०(आ०)–17/2023........................ व०प०/राँची, दिनांक.................

प्रेषक,

प्रभाकर ओझा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची। **द्वितीय स्मार**

विषयः– श्री सबा आलम अंसारी, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग के विरूद्ध शिकायत के संबंध में।

प्रसंगः– श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग का ई–मेल दिनांक–03.10.2023 एवं दिनांक–27.10.2023 तथा विभागीय पत्रांक–4204, दिनांक–07.11.2023 एवं पत्रांक–4680, दिनांक–18.12.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग के ई–मेल के आलोक में परिवादी द्वारा श्री सबा आलम अंसारी, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता की जाँच वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल के नियंत्री पदाधिकारी से भिन्न किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच कराकर अपने सुस्पष्ट मंतव्य के साथ प्रस्ताव सहित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि विषयांकित मामले से संबंधित श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग का ई–मेल दिनांक–07.02.2024 एवं अभ्यावेदन मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची के गै०स०प्रे०सं०–1029, दिनांक–12.02.2024 द्वारा प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त ई–मेल एवं अभ्यावेदन के माध्यम परिवादी द्वारा विषयांकित मामले में सभी साक्ष्य उपलब्ध करा दिए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य देने में विलंब करने या आरोपियों को बचाने वाला रिपोर्ट भेजेंगे, संबंधी शिकायत करते हुए विभाग स्तर से ही कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव पुनः अनुरोध है कि वांछित जाँच प्रतिवेदन अपने सुस्पष्ट मंतव्य सहित अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(प्रभाकर ओझा)
सरकार के अवर सचिव।
कृ०पृ०उ०.............

ज्ञापांक–8/भा०व०से०(आ०)–17/2023.....1136...... व०प० राँची, दिनांक..11/3/24..

प्रतिलिपि :–\श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, पिता–श्री राजेश कुमार, बड़कागाँव, हजारीबाग, झारखण्ड–825311 मो०–9504268699 ई–मेल आईडी–mantusoni8@gmail.com को ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/24
सरकार के अवर सचिव।

(59)

(6) (38)

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्रांक–8/भा०व०से०(आ०)–17/2023 4204 व०प०/राँची, दिनांक 03/11/23

प्रेषक,

मितरंजु कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– श्री सबा आलम अंसारी, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग के विरूद्ध शिकायत के संबंध में।

प्रसंगः– श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग का ई–मेल दिनांक–03.10.2023 एवं दिनांक–27.10.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग ने अपने ई–मेल दिनांक–03.10.2023 अनुलग्नक सहित के माध्यम से श्री सबा आलम अंसारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के विरूद्ध कर्तव्यहीनता/निजी लाभ/विभाग को धोखा देते हुए MoEF & CC के शर्तों के खिलाफ सड़क मार्ग से अवैध ट्रांसपोर्टेशन को संरक्षण देने और विधानसभा में पूछे गए सवाल पर आरोपियों से पूछकर झारखण्ड सरकार को विधानसभा में गलत/भ्रामक जवाब देने के लिए रिपोर्ट भेजे जाने जैसे गंभीर मामलों पर विभागीय/कानूनी कार्रवाई की माँग की गई है। श्री मंटू सोनी द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदित आरोपों के समर्थन में अनुलग्नक के रूप में कई दस्तावेजों को संलग्न किया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त परिवाद उनके द्वारा प्रेषित है अथवा नहीं? के संबंध में उसे सम्पुष्ट करने हेतु परिवादी से अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में परिवादी श्री सोनी द्वारा अपने ई–मेल दिनांक–27.10.2023 अनुलग्नक सहित के माध्यम से अपने पूर्व प्रेषित परिवाद पत्र के स्वयं द्वारा लिखे जाने की पुष्टि की गई है। साथ ही श्री सोनी द्वारा परिवाद पर एक समय सीमा तय कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अतः वर्णित परिस्थिति में परिवादी के दोनों ई–मेल अनुलग्नक सहित की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि परिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जाँच एक माह (30 दिनों) के अन्दर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल के नियंत्री पदाधिकारी से भिन्न किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच कराकर अपने सुस्पष्ट मंतव्य के साथ प्रस्ताव सहित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

अभिप्रमाणित

अपर सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

विश्वासभाजन,

(मितरंजु कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

कृ०पृ०उ०

(56)

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्रांक–8 / भा०व०से०(आ०)–17 / 2023 1880 .... व0प0 / राँची, दिनांक 20/5/24

प्रेषक,

प्रभाकर ओझा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

तृतीय स्मार

विषयः– श्री सबा आलम अंसारी, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग के विरूद्ध शिकायत के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–4204, दिनांक–07.11.2023, पत्रांक–4680, दिनांक–18.12.2023 एवं पत्रांक–734, दिनांक–01.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग के ई–मेल के आलोक में परिवादी द्वारा श्री सबा आलम अंसारी, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता की जाँच वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल के नियंत्री पदाधिकारी से भिन्न किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच कराकर अपने सुस्पष्ट मंतव्य के साथ प्रस्ताव सहित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि विषयांकित मामले से संबंधित मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची के गै०स०प्रे०सं०–2716, दिनांक–24.04.2024 एवं गै०स०प्रे०सं०–2882, दिनांक–06.05.2024 द्वारा श्री मंटू सोनी उर्फ शनि कान्त, बड़कागाँव, हजारीबाग का अभ्यावेदन एवं विभाग का समर्पित उनका ई–मेल दिनांक–23.04.2024 एवं दिनांक–03.05.2024 प्राप्त है। श्री सोनी के उक्त अभ्यावेदन एवं ई–मेल, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी, संताल परगना, दुमका को सम्बोधित करते हुए मामले का विस्तृत अंकन कर सुनवाई हेतु सशरीर उपस्थित होने की छूट देते हुए वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति हेतु अनुरोध से संबंधित हैं।

अतएव, श्री सोनी के वर्त्तमान प्राप्त अभ्यावेदनों की छायाप्रति आवश्यक अग्रेतर कार्यार्थ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित मामले में शीघ्र जाँच पूर्ण कराकर वांछित जाँच प्रतिवेदन अपने सुस्पष्ट मंतव्य सहित अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

अभिप्रमाणित

अवर सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

विश्वासभाजन,

20/05/24

(प्रभाकर ओझा)
सरकार के अवर सचिव।

(59)

शुभम संदेश
epaper.lagatar.in
08 Dec 2023 - Page 4

डीएफओ ने पहले सरकार को रिपोर्ट भेजी, फिर खुद किया खारिज

विस को दी गलत जानकारी

छुपाया तथ्य

- सरकार ने पीसीसीएफ से एक माह में मांगी रिपोर्ट
- सड़क मार्ग से कोयला परिवहन संबंधी सवाल पर दिया था जवाब

विशेष संवाददाता। हजारीबाग/ रांची

वन विभाग के डीएफओ कैसे विधानसभा और सरकार को गलत जानकारी देकर भ्रमित करते हैं, इसका एक उदाहरण सामने आया है. हजारीबाग डीएफओ सबा आलम अंसारी ने पहले विधानसभा को गलत जानकारी देते हुए रिपोर्ट भेजा. जब सरकार तक यह जानकारी पहुंची, तो डीएफओ ने अपनी ही रिपोर्ट के खुद से खारिज कर दी.

पूरे मामले को लेकर पीसीसीएफ ने एक माह के अंदर रिपोर्ट मांगी है. विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा विधानसभा में हजारीबाग में एनटीपीसी द्वारा सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित सवाल पूछा गया था. उसका जवाब तैयार करने की जिम्मेवारी हजारीबाग डीएफओ के सौंपी गयी थी. डीएफओ ने एनटीपीसी से जानकारी लेने के बाद रिपोर्ट तैयार की. रिपोर्ट विधानसभा और वन विभाग मुख्यालय भेज दिया. तीन माह बाद जिस रिपोर्ट को डीएफओ ने तैयार किया था, खुद ही उस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिये. एनटीपीसी से स्पष्टीकरण पूछ दिया, जबकि डीएफओ ने एन्टीपीसी से मंतव्य लेने के बाद ही रिपोर्ट तैयार की थी.

मामले की वरीय पदाधिकारी से जांच कराने की सिफारिश

वन मुख्यालय में इसकी जानकारी पहुंची. तब एक माह के अंदर पीसीसीएफ से इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. सरकार के अवर सचिव मितरंजु कुमार द्वारा पीसीसीएफ को लिखे पत्र में सबा आलम अंसारी के क्षेत्राधिकार से भिन्न किसी वरीय पदाधिकारी से मामले की जांच कराने को कहा है. इस मामले में हजारीबाग के मंटू सोनी ने पत्राचार किया था, जिसके बाद सरकार और वन विभाग गंभीर हुआ.

जिससे पूछ दिया जवाब तीन माह बाद उसी को शो कॉज

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी ने फरवरी महीने में एन्टीपीसी से पूछकर विधानसभा में सरकार को जवाब भेजा था. तीन महीने बाद उसी जवाब को लेकर एनटीपीसी से स्पष्टीकरण पूछा. जवाब में एनटीपीसी द्वारा एमओईएफ एंड सीसी के दिल्ली कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन के तहत ट्रांसपोर्टेशन किए जाने की जानकारी दी गयी. इसे डीएफओ ने एक सप्ताह बाद मानने से इनकार करते हुए उसे गलत ठहरा दिया.

डीएफओ ने एनटीपीसी से मिल कर तैयार की रिपोर्ट

विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा सत्र के दौरान एनटीपीसी द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने से संबंधित एक सवाल पूछा था. सरकार ने जवाब देने के लिए हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को पत्र लिखा था. इसके बाद विधानसभा में एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक, पंकरी – बरवाडीह एनटीपीसी लिमिटेड (पत्रांक 23 दिनांक 10 फरवरी 2023) के हवाले से जवाब दिया गया, जिसमें बताया गया कि भूमि अधिग्रहण एवं स्थानीय विधि व्यवस्था के चलते कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो पाया है. रिपोर्ट में यह जानकारी नहीं दी कि कन्वेयर बेल्ट का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से चैयार नहीं हुआ है. इसलिए एमओईएफ एंड सीसी के दिल्ली कार्यालय द्वारा (दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020) को जारी नोटिफिकेशन के आलोक में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है. साथ सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के लिए परमिट भी जारी किया जा रहा है.

शुभम संदेश
epaper.lagatar.in
20 Dec 2023 - Page 4

जिस पर सवाल, उसी से पूछकर विधानसभा को सौंपी झूठी रिपोर्ट

बुरे फंसे हजारीबाग डीएफओ

प्रमुख संवाददाता। रांची

डीएफओ सबा आलम अंसारी द्वारा एनटीपीसी से पूछ कर झारखंड विधानसभा में झूठी रिपोर्ट भेजने के मामले में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. दरअसल, डीएफओ से हजारीबाग में एनटीपीसी द्वारा सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में जानकारी मांगी गई थी. पूर्व में मंटू सोनी की शिकायत के बाद पीसीसीएफ से एक महीने में रिपोर्ट-मंतव्य के साथ जांच प्रतिवेदन मांगा गया था.

लेकिन, समय बीतने के बाद भी सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजी गई. इसके बाद सरकार के अवर सचिव प्रभाकर ओझा ने पीसीसीएफ को पत्र लिखकर अविलंब रिपोर्ट देने को कहा है. इसके पूर्व सरकार के अवर सचिव मितरंजु कुमार द्वारा पीसीसीएफ को लिखे पत्र में यह भी कहा गया था कि डीएफओ सबा आलम अंसारी के क्षेत्राधिकार से भिन्न किसी वरीय पदाधिकारी से जांच कराएं.

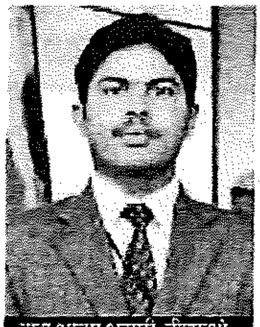

सबा आलम अंसारी, डीएफओ.

सरकार सख्त

- झूठी रिपोर्ट भेजने के मामले में सरकार के तेवर तल्ख
- सरकार ने पीसीसीफ से अविलंब मांगी जांच रिपोर्ट
- एनटीपीसी द्वारा सड़क से कोल ट्रांसपोर्टेशन मामला

आरोपी से पूछकर सरकार को भेजी झूठी रिपोर्ट

विधायक लोबिन हेंब्रम द्वारा फरवरी महीने में विधानसभा सत्र के दौरान एनटीपीसी द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने से संबंधित एक सवाल पूछा गया था. इसका जवाब देने के लिए झारखंड सरकार ने हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को पत्र लिखा था. झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक पंकरी बरवाडीह एनटीपीसी लिमिटेड के पत्रांक 23 दिनांक 10 फरवरी 2023 के हवाले से जवाब दिया गया कि भूमि अधिग्रहण एवं स्थानीय विधि व्यवस्था के चलते कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो पाया है. इसलिए वन मंत्रालय के दिल्ली कार्यालय द्वारा दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी नोटिफिकेशन के आलोक में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है. उक्त परिपेक्ष्य में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के लिए ट्रांजिट परमिट निर्गत किया जा रहा है.

सरकार को भेजी रिपोर्ट को खुद किया खारिज

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी ने फरवरी महीने में एनटीपीसी से पूछकर विधानसभा में सरकार को जवाब देने के तीन महीने बाद उसी जवाब को लेकर एनटीपीसी से स्पष्टीकरण पूछा. जवाब में एनटीपीसी द्वारा भारत सरकार के वन मंत्रालय के दिल्ली कार्यालय द्वारा दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी नोटिफिकेशन के तहत ट्रांसपोर्टेशन किए जाने की जानकारी दी गई. डीएफओ ने एक सप्ताह बाद उसे मानने से इनकार करते हुए गलत बताया था.

एनटीपीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को छुपाकर डीएफओ को दिया था जवाब

विधानसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए हजारीबाग डीएफओ सबा आलम अंसारी ने विभागीय रिपोर्ट भेजने के बदले एनटीपीसी से ही रिपोर्ट मांग लिया. एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक ने डीएफओ को भारत सरकार के वन मंत्रालय के दिल्ली कार्यालय द्वारा दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी नोटिफिकेशन के तहत ट्रांसपोर्टेशन किए जाने की जानकारी दी. हालांकि, उस समय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को छुपा लिया, जिसमे उसे अक्टूबर 2023 तक सड़क से कोयला ट्रांसपोर्टेशन करने का आदेश दिया गया था. पूरे प्रकरण को लेकर दोषियों पर शिकायतकर्ता मंटू सोनी ने विभागीय और कानूनी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा था.

शुभम संदेश
epaper.lagatar.in
16 Feb 2024 - Page 3

एनटीपीसी अवैध खनन मामला : सरकार को सुपरसीड कर रहे पीसीसीएफ

डीएफओ के बचाव में उतरे, पर तर्कों का सबूत नहीं

प्रवीण कुमार। हजारीबाग/रांची

वन विभाग के अफसर अपनी कार्यशैली की वजह से अक्सर विवादों में घिरते रहे हैं. पूर्व पीसीसीएफ एके रस्तोगी बंकरों में सहारा इंडिया को 70 एकड़ जमीन मामले में जांच की जद में हैं. वहीं वर्तमान पीसीसीएफ संजय श्रीवास्तव अपने कनीय अधिकारी हजारीबाग के तत्कालीन डीएफओ आरएन मिश्र को बचाने के चक्कर में गलतियां कर रहे हैं. मामला हाईप्रोफाइल है. एनटीपीसी ने पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना (हजारीबाग) में 100 एकड़ से अधिक वन भूमि में अवैध खनन करा लिया है. दैनिक शुभम संदेश लगातार इस अवैध खनन का पर्दाफाश करते हुए अफसरों की कारगुजारियों को सामने ला रहा है. अब पीसीसीएफ बिना किसी सबूत के ही अपने कनीय पदाधिकारी के बचाव में जुट गए हैं.

डीएफओ ने जांच अधिकारी की अनुशंसा अपनी रिपोर्ट में छुपायी

पीसीसीएफ ने आरोपी डीएफओ आरएन मिश्रा के पक्ष में राज्य सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें अविनाश कुमार परमार और शैलेन्द्र सिंह की जांच रिपोर्ट पर मार्च 2022 को पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी को भेजी गयी विभागीय जांच रिपोर्ट की कंडिका दो में लिखा था कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एफसी एक्ट की धारा 3ए एवं 3 बी के तहत कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन आरएन मिश्रा ने इस तथ्य को छुपा दिया था. इस बिंदु को भी जांच के दायरे में नहीं लाया गया.

पीसीसीएफ का तर्क, पर प्रमाण नहीं

तत्कालीन डीएफओ के पक्ष में मुख्य वन संरक्षक की रिपोर्ट पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) ने अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को जो रिपोर्ट भेजी, उसकी कंडिका तीन में कहा कि मिश्र ने स्पष्ट किया है कि दुमुहानी नाला का यह स्थल अधिसूचित वन भूमि नहीं है. अतः सीधे-सीधे भारतीय वन एक्ट 1927 के अंतर्गत वनवाद नहीं किया जा सकता. हालांकि मिश्रा ने उक्त स्थल अधिसूचित वन भूमि अंतर्गत है या बाहर है, इसका साक्ष्य नहीं दिया. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि वन एक्ट 1927 के तहत वनवाद नहीं किया जा सकता और उनके द्वारा की गयी कार्रवाई 28.03.2019 के वन संरक्षण एक्ट की नियम के दिशा-निर्देश के तहत है. लेकिन साक्ष्य नहीं दिया गया, जिससे यह साबित हो सके कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती. पीसीसीएफ ने बिना किसी दस्तावेज के मिश्रा के पक्ष में दलील दी. जो सवालों के घेरे में है.

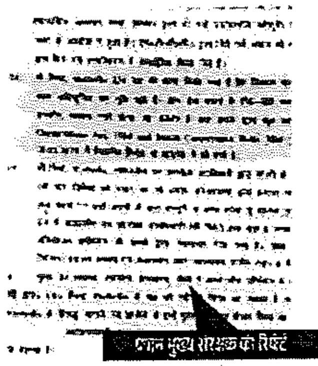

प्रधान मुख्य संरक्षक की रिपोर्ट

वन विभाग ने माना, अवैध खनन हुआ, पर दोषी किसी को नहीं माना

एनटीपीसी की पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना (हजारीबाग) में वन विभाग अवैध खनन की बात तो स्वीकारता है, लेकिन दोषी किसी को नहीं मानता. सुप्रीम कोर्ट में 6 जून 2022 को मेसर्स बालासोर एलॉयज लिमिटेड बनाम ओडिशा राज्य मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस शाह ने अपने आदेश में कहा था कि -फॉरेस्ट क्लीयरेंस का आवेदन लंबित है, तो इसे फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं माना जा सकता. अगर फॉरेस्ट क्लीयरेंस के आदेश के बिना खुदाई की जाती है, तो वह अवैध है. लेकिन वन विभाग खुद को कोर्ट के इस आदेश से भी ऊपर मानता है. तत्कालीन डीएफओ आरएन मिश्र ने जो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें एनटीपीसी को फॉरेस्ट क्लीयरेंस की शर्तों में संशोधन की अनुशंसा कर दी. दुमुहानी नाला (नदी) को नष्ट कर सौ एकड़ में अवैध खनन के दोषियों को बचाने के लिए तत्कालीन डीएफओ मिश्र ने एनटीपीसी के दिए पक्ष के अनुसार ही रिपोर्ट बदल दी.

अवैध खनन पर पर्दा डालने के लिए रिपोर्ट ही बदल दी

पीसीसीएफ ने आरोपी डीएफओ आरएन मिश्रा के पक्ष में राज्य सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें एक रिपोर्ट को बदल कर दूसरी रिपोर्ट बनाने का कारण वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल हजारीबाग द्वारा आरएन मिश्रा को एनटीपीसी का पक्ष अंकित कर दूसरी रिपोर्ट मांगा जाना बताया गया. लेकिन मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता) और पीसीसीएफ ने यह नहीं देखा कि वन संरक्षक ने डीएफओ से प्रयोक्ता अभिकरण का पक्ष अंकित करने को कहा था, न कि कार्रवाई की बिंदु पर अनुशंसा करने को कहा था, जिसका निर्णय भारत सरकार लेती है. इसके अलावा एनटीपीसी के पक्ष के साथ रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिसका जिक्र दूसरी रिपोर्ट में नहीं किया गया.

(७)

शुभम संदेश
epaper.lagatar.in
11 Feb 2024 · Page 1

www.lagatar.in रविवार, 11 फरवरी 2024 आवरण मूल्य : ₹ 3 मात्र

जिस रिपोर्ट को विस ने स्वीकारा, उसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने नकारा

■ अनियमितता के आरोपी अधिकारी के पक्ष में उतरे राज्य के पीसीसीएफ ■ मामला एनटीपीसी की ओर से 100 एकड़ में अवैध खनन का

सरकार की रिपोर्ट सही, या पीसीसीएफ की

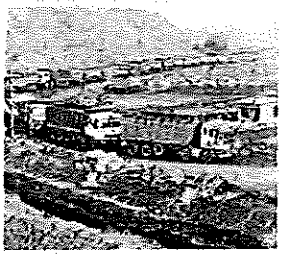

डीएफओ ने बदली रिपोर्ट

(6)

दैनिक भास्कर हजारीबाग 20-06-2024

झुंड से बिछड़े हाथी ने घर किया क्षतिग्रस्त

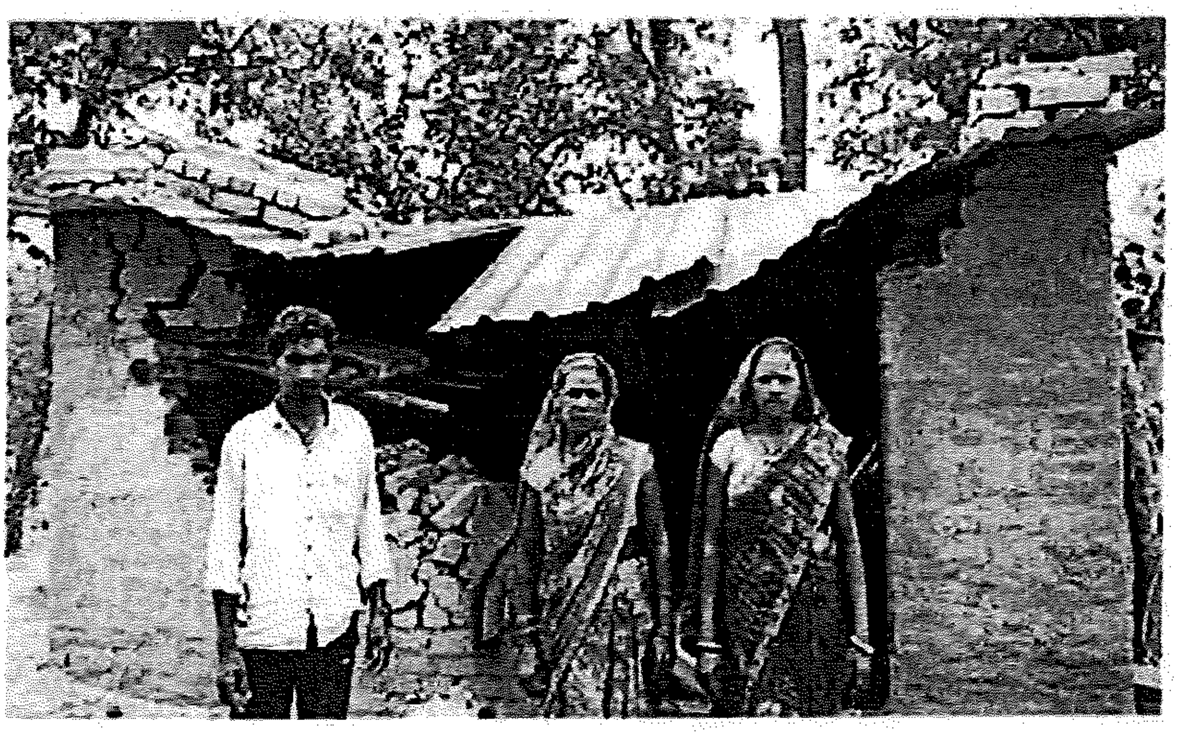

बड़कागांव | प्रखंड अंतर्गत महुगाईकला पंचायत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बलोदर में मंगलवार की रात झुंड से बिछड़े हाथी ने रविंद्र महतो के घर को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे 50 किलो चावल, 1 क्विंटल गेंहू, 70 किलो आलू सहित अन्य खाद्य सामग्री को भी हाथी चट कर गया। रविंद्र ने कहा के हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। इतनी गर्मी में रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने वन विभाग से आग्रह किया के क्षति का आंकलन कर जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति किया जाए। प्राप्त सूचना के अनुसार हाथी अभी जुगल राणा घाटी और बेस के बीच विचरण कर रहा है।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 04-02-2024

हाथियों ने जुगरा व अराहरा में फसलों को रौंदा, सीकरी में कच्चा घर तोड़ा

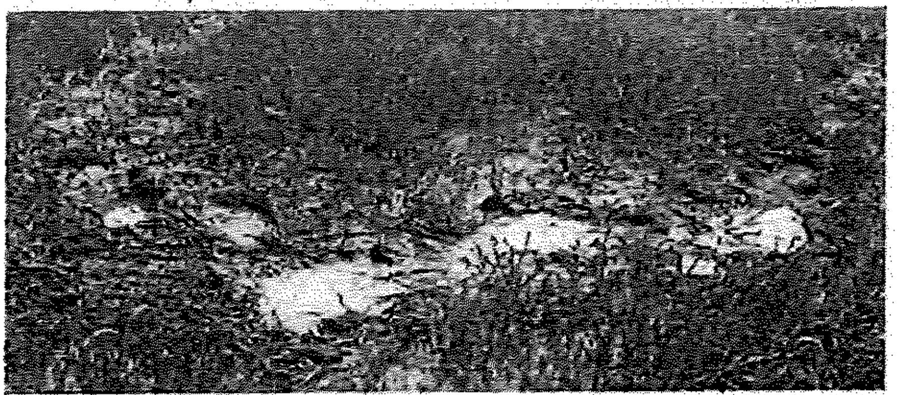

भास्कर न्यूज | बड़कागांव

बड़कागांव प्रखंड में पिछले चार दिनों से जंगलों में हाथियों का विचरण जारी है। जंगलों के आसपास के गांव में हाथियों द्वारा किसानों के खेतों को भारी नुकसान हो रहा है। कई लोगों के घर को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है तो कई के खेतों में लगी फसलों को रौंद दिया जा रहा है। शुक्रवार देर रात 13 की संख्या में हाथियों के झुंड ने जुगरा और अराहरा गांव में काफी उत्पात मचाया है।

हाथियों ने किसानों के खेतों में लगी अरहर, मटर, गेहूं, प्याज की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। जुगरा गांव में अशोक साहू के खेत में लगी गेहूं, अरहर और प्याज को रौंद कर बर्बाद कर दिया। वही अराहरा गांव में विराज महतो, सूरज महतो, मलकू महतो के लगभग 100 डिसमिल में लगी गेहूं की खेत और कुलदीप महतो के 40 डिसमिल खेत में लगी अरहर को बर्बाद कर दिया।

पीड़ित किसानों ने बर्बाद हुई फसलों को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसानों ने कहा कि खेती से ही हमारा परिवार का भरण पोषण होता है, हाथियों ने हम लोगों के फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वही बड़कागांव प्रभारी वनपाल संतु कुमार ने कहा कि शनिवार देर शाम 7:00 बजे हाथियों का एक झुंड सिकरी और दूसरा झुंड लेकर जंगल में विचरण कर रहा है सीकरी गांव में हाथियों ने एक कच्चे मकान को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी को भगाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

दैनिक भास्कर रांची 28-11-2023

DainikBhaskar.com

भास्कर पड़ताल • सड़क एलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन में गड़बड़ी और स्पीड रडार गन की पेंच में फंसा चुटूपालू घाटी के सुधार का काम

चुटूपालू के 5 किमी दायरे में 8 साल में 90 से ज्यादा मौतें, हादसे रोकने की बजाय डीटीओ और एचएचएआई में आरोप-प्रत्यारोप

दुर्घटना रोकने को अल्पकालिक उपाय तो किए गए, पर स्थायी समाधान के प्रयास अब तक नहीं

24 जनवरी	01	1 जून	01
25 जनवरी	03	31 अगस्त	02
25 अप्रैल	03	19 अक्टूबर	02
21 मई	01	21 नवंबर	03

भास्कर एक्सपर्ट: रांची से तमाड़ की ओर ढलान होने से अधिकतर दुर्घटनाएं बाईं तरफ हो रहीं

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 15-01-2024

बड़कागांव • चौपारण dainikbhaskar.com

हाथियों का कहर जारी... 35 हाथियों का झुंड चरही, चुरचू और दारू वन क्षेत्र में चार दिनों से पहुंचा रहा क्षति, टीम ने एनएच पार कराया

भास्कर न्यूज | चरही

इन दिनों पैंतीस हाथियों का झुंड चरही, चुरचू और दारू वन क्षेत्र के समीप बसे गांवों में घुसकर लगातार चार दिनों से क्षति पहुंचा रहे हैं। झुंड को उनके गंतव्य कॉरिडोर तक पहुंचाने के लिए हाथी भगाने वाला दस्ता शनिवार को पूरी रात लगी रही। इसके बावजूद उनके मार्ग में आने वाले घरों को चपेट में लेते रहे। बीते रात करमी में 4 घरों को क्षति पहुंचाया और तीन लोगों के घरों में रखे सामग्री बर्बाद किए। झुंड के पीछे पीछे दस्ता रात भर लगा रहा।

निकलने के क्रम में चरही पंचायत भवन के पास एक घर को तोड़ते हुए पुनः पुरनाडीह में एक घर को तोड़ा। रविवार की सुबह लगभग 6 बजे एनएच के चरही घाटी को पार करते हुए सड़क पार जंगल में प्रवेश किया। इस बीच झुंड को हाईवे को पार कराने में लगभग आधे घंटे लग गए। हाईवे को वन कर्मियों और दस्ता टीम ने दोनों ओर से वाहनों को रोक रखा। हाथियों की पूरी झुंड सड़क को पार कर लेने के बाद वाहनों का आवागमन शुरू कराया जा सका।

सुबह हो जाने के कारण झुंड आगे नहीं बढ़ी। पूरे दिन बदुरवाखच जंगल में हाथियों को [illegible] विश्राम करते रहे। दस्ता टीम के साथ प्रभारी सुधा मनस्कार रंजीत कुमार और वनरक्षी विकास [illegible] लगे रहे। रविवार रात को भी हाथी भगाने वाला दस्ता मेंग रेंजल की जंगल की ओर उनके कॉरिडोर में भेजने का प्रयास करेगी। इसके बावजूद डर बना हुआ है कि समीप के गांव दरवाकिया और सुरुम में पहुंच गए, तो फिर नुकसान की गुंजाइश हो सकती है।

आस-पास क्षेत्र के ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा अलर्ट कर दिया जा रहा है। कोंवा मुखिया ने बिना हाथी पीड़ितों का जायजा [illegible] पंचायत के मुखिया रेखनी महतो ने अपने पंचायत क्षेत्र के करमी में नुकसान का जायजा लिया। वन विभाग से लोगों को क्षतिपूर्ति शीघ्र दिलाने की मांग की है। जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं, उनमें [illegible] देवी, फगु मरांडी, विनय मरांडी, बड़की देवी हैं। जबकि सामग्री जिनकी क्षति हुई है उनमें बासंती देवी, लखे मरांडी, [illegible] मरांडी शामिल हैं। झुंड ने घनी टोले के समीप कटहल को क्षति पहुंचाया है।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 11-04-2024

बिरहोर का निधन, मुआवजा व नौकरी के आश्वासन पर जाम हटा

मुआवजे के लिए शव के साथ प्रदर्शन 6 घंटे तक माइंस का काम ठप कराया

भास्कर न्यूज | कर्णपुरा/केरेडारी

केरेडारी के पगार बिरहोर कॉलोनी में मंगलवार की रात 42 वर्षीय दुर्गा बिरहोर का निधन हो गया। इसके बाद परिजनों ने मुआवजे और नौकरी के लिए बुधवार की सुबह सात बजे चट्टीबारियातू कोयला खनन परियोजना के गेट नंबर एक के पास शव रखकर ट्रांसपोर्टिंग कार्य रोक दिया। जिससे खनन और परिवहन का कार्य बंद रहा। बिरहोर परिवार मुआवजा, नौकरी, रोजगार और सुरक्षा की मांग कर रहा था। बाद में केरेडारी प्रमुख, थाना प्रभारी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में वार्ता होने पर लगभग 6 घंटे बाद दोपहर 1:10 बजे शव को उठाया गया। वार्ता के दौरान कंपनी ने मृतक के परिजनों को 30 हजार रुपए नगद दिए। वहीं मृतक के बड़े बेटे रंगला बिरहोर को आउटसोर्सिंग में और मंझले बेटे मुकेश बिरहोर को ट्रांसपोर्टिंग कंपनी में रोजगार देने, दो बच्चे पांच वर्षीय मोहन बिरहोर व तीन वर्षीय मंजू बिरहोरीन को कंपनी रहने तक पांच-पांच हजार रुपए प्रत्येक महीना खाते में डालने का सहमति पत्र लिखित रूप से परिजनों को सौंपा गया। वहीं इस कॉलोनी को नजदीक के जंगल में जल्द ही शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। वहीं जाम के दौरान सुंदर प्रसाद गुप्ता ने चट्टीबारियातू बाजारटांड़ में निर्मित एक मकान में बिरहोर परिवार को फिलहाल शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया तो सभी बिरहोर ने एक स्वर में कहा हम जंगल में रहबो। बताया जाता है कि प्रदूषण से बचने के लिए कॉलोनी की माइंस की ओर ग्रीन एग्रीमेंट लगाया गया है। पेयजल की व्यवस्था की गई है।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 10-02-2023

बुधवार की सुबह शहर में घुसा था झुंड से बिछड़ा हाथी, तीन लोगों की ले ली थी जान, दो अब भी इलाजरत

हाथी ने शहर में 15 घंटे तक आतंक मचाया, 5 लोगों को चपेट में लिया, अब बड़कागांव के चेपाकला में महिला को किया घायल

भास्कर न्यूज | हजारीबाग

हजारीबाग शहर में 15 घंटे तक आतंक मचाने और 5 लोगों को चपेट में लेने के बाद हत्यारे हाथी शहर को तो छोड़ दिया है लेकिन सीमा नहीं छोड़ा है। दिन भर वन विभाग उसे भगाने के लिए मशक्कत करता रहा। बड़कागांव के जंगलों तक खदेड़ देने की बात कही गई लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह शहर के सीमा क्षेत्र डेमोटांड़ कुसुंभा के जंगलों में ही विचरण कर रहा है। कुसुंभा से निकलने के बाद हाथी बड़कागांव पहुंच गया। बड़कागांव के चेपाकला में उसने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में खाना बना रही महिला को उसने चपेट में लिया। इसमें महिला के पैर टूट गए। बुधवार को दिन भर में 3 लोगों की उसने हत्या कर दी जबकि दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और दूसरे रिकी कुमारी का इलाज एचजेडबी आरोग्यम में जारी है।

चानो के रास्ते शहर में घुसा, हुरहुरू होते मिशन रोड होते हुए शहर से गुजरा

बुधवार को शहर में हाथी के आतंक से भयभीत होने के बाद लोगों ने जब अपने अपने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो पाया कि वह चुरचू के जंगल से होते हुए चानो के रास्ते शहर में घुसा। हुरहुरू के रास्ते मिशन रोड होते हुए बीच शहर से गुजरा। लेकिन शहर में हाथी के प्रवेश की सूचना जिला प्रशासन वन विभाग और पुलिस तक को नहीं मिली। जब उसने दामोदर साव की हत्या कर दी। तब शहर और प्रशासन को जानकारी हुई। इस घटना ने जिला प्रशासन पुलिस और वन विभाग की पोल खोल कर रख दिया। यह साबित कर दिया कि रात में पुलिस की पेट्रोलिंग शहर में बिल्कुल नहीं होती है। पीसीआर के वाहन भी थाने में नहीं होता है। अगर पेट्रोलिंग होती रहती तो रात में ही पुलिस को यह जानकारी अवश्य हो जाती कि शहर में हाथी घुसा हुआ है। प्रशासन और लोग अलर्ट मोड में रहते फिर शायद दामोदर साव धनेश्वर साव एवं टिंकल की जान नहीं जाती नहीं रिकी और अंकित बोंगन मौत से जूझ नहीं रहे होते। हालांकि अभी भी वन विभाग अलर्ट मोड में है। हाथी के हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। हाथी का तेवर इतना खतरनाक है कि लोग डरे सहमे हुए हैं कि पता नहीं अब वह किसी और व्यक्ति और किस की जान लेगा। लोग दहशत से नहीं उबर पा रहे हैं। इस घटना के बाद से डीएफओ सबा आलम का मोबाइल स्विच ऑफ मोड में चला गया है। बात करने की लगातार कोशिश हो रही है लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है।

झुंड से बिछड़ा हाथी उग्र है रहें सचेत: सत्यप्रकाश।

वन्य जीव विशेषज्ञ सत्य प्रकाश ने कहा कि हाथी काफी उग्र है खतरनाक तेवर में है इसलिए अभी भी खतरा टला नहीं है लोग सचेत रहें। कहा की प्रभावित क्षेत्र के लोग अपने घर के बाहर गोयठे का आग जला लें और उसमें मिर्ची डाल दें। मिर्ची के धुआं के कारण हाथी अपना रास्ता बदल लेगा। जिससे किसी की भी जानमाल की क्षति नहीं हो पाएगी। हाथी दिखे तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करें।

दैनिक भास्कर रांची 09-02-2023

हजारीबाग शहर में पहली बार घुसा हाथी, दो बुजर्गों और बच्ची को पटककर मार डाला, दूसरी गंभीर

भास्कर न्यूज | हजारीबाग

हजारीबाग में बुधवार की अहले सुबह 4.30 बजे चरही जंगल की तरफ से शहर में पहली बार घुसे एक जंगली हाथी ने पूरे दिन उत्पात मचाया। दो बुजुर्गों और एक बच्ची को पटककर मार डाला। वहीं, एक बच्ची गंभीर से रूप घायल है। उसका इलाज रिम्स रांची में हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह करीब 5.30 बजे खिरगांव निवासी दामोदर साव (66 वर्ष) और बाबू साव (67 वर्ष) अपने-अपने खेत में पानी पटा रहे थे। इसी बीच झुंड से बिछड़े हाथी ने उन्हें उठाकर पटक दिया। दोनों की मौत वहीं हो गई। वहीं, शाम 7:00 बजे सिरसी गांव में हाथी ने एक बच्ची ट्विंकल को पटक कर जख्मी कर दिया। देर शाम उसकी भी मौत हो गई। रात 8 बजे तक हाथी सिरसी की गलियों में घूमता दिखा। पूरे इलाके में दहशत है। इससे पहले हाथी के हमले से गुस्साए लोगों ने हजारीबाग-चतरा रोड जाम कर दिया। वे मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। वन विभाग और पुलिस के अफसर लोगों न जाम हटाया।

चरही जंगल के रास्ते घुसा हाथी रात में सिरसी की गलियों में दिखा

कई इलाके में अफरा-तफरी मची, लोगों को घरों में रहने की हिदायत

बुधवार सुबह जैसे शहर में हाथी होने की सूचना लोगों को मिली तो खिरगांव समेत हजारीबाग रेलवे स्टेशन, कूद, रेवाली, कुम्हार टोली, नाला पार, यशवंत नगर व सिरसी आदि इलाके में अफरा- तफरी मच गई। वन विभाग की टीम पहुंची और लोगों को घरों में रहने की हिदायत की अनाउंसमेंट की।ड्रोन से हाथी पर नजर रखी जा रही है। वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। रूट डायवर्ट कर दिए गए।

(68)

दैनिक भास्कर हजारीबाग 07-11-2022

25 हाथियों का झुंड बड़कागांव के सेह्दा जंगल में 15 दिनों से जमे हैं

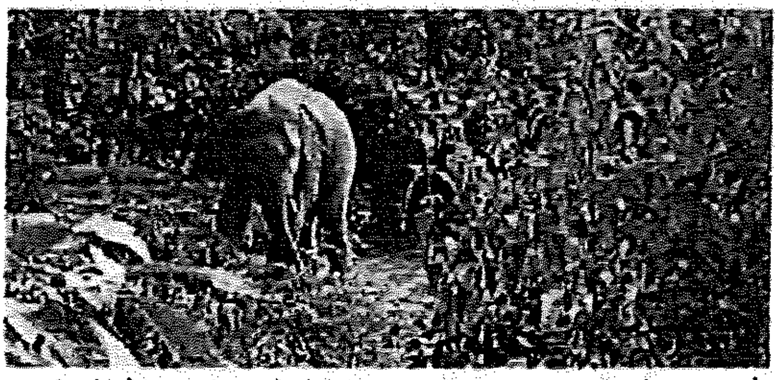

भास्कर न्यूज़ | बड़कागांव

प्रखंड में हाथियों के द्वारा गांव में घुसकर ग्रामीणों का नुकसान पहुंचाने का लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगलों की लगातार कटाई के कारण हाथी गांव की ओर कूच कर रहे हैं। बड़कागांव वन परिक्षेत्र के ग्राम पसेरीया, इंद्रा और इसको में लगभग 25 हाथियों का दल पिछले 15 दिनों से डेरा डाले हुए है। क्षेत्र में कम बरसात होने के बाद भी ग्रामीणों ने किसी तरह धान की फसल लगाई है और अब फसल जैसे-जैसे तैयार हो रहा रहा है हाथी उसे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों का झुंड जिधर भी जा रहा है धान के साथ साथ सब्जियों के खेती को भी पैरों तले रौंद कर नष्ट कर दे रहे हैं। पिछले हफ्ते पसेरीय गांव में हाथियों ने 6 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। लगभग 23 हाथियों का दल पिछले 15 दिनों में कई एकड़ में लगे फसलों को नुकसान पहुंचा है।

शनिवार को हाथियों के झुंड को ग्राम इसको और सेहदा के बीच तिलैया जंगल में देखा गया है। हाथियों के गांव के करीब आने से ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर हैं। ग्राम सेहदा के ग्रामीण हाथियों के झुंड की खबर से दहशत में हैं। सेहदा निवासी सीनोद कुमार ने कहा के ग्रामीण रात भर जाग कर गुजार रहे हैं। मशाल बना कर रखे हैं ताकि अगर हाथियों ने गांव में आक्रमण किया तो दूर से मशाल जला कर हाथियों को गांव से दूर रखने का प्रयास कर सकें।

(69)

दैनिक भास्कर हजारीबाग 02-12-2022

बड़कागांव के एमसीसी बिल्डिंग 2 के समीप शाम साढ़े 5 बजे की घटना, आक्रोश

काम से घर लौट रहे युवक की हाइवा की चपेट में आने से मौत...सड़क जाम

भास्कर न्यूज|बड़कागांव

त्रिवेणी सैनिक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के एक हाइवा ने गेट नंबर चार के निकट एमसीसी बिल्डिंग 2 के समीप शाम को काम कर वापस घर लौट रहे कामगार चेपाकला निवासी 28 वर्षीय सुनील भुइयां को अपनी चपेट ले लिया। इस दुर्घटना में सुनील भुइयां की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना शाम साढ़े पांच की है। इस घटना के बाद हाइवा लेकर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कोयला ट्रांसपोर्टिंग को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया। घटना पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण काफी धूलकन उड़ता है और सामने का आदमी या गाड़ी नहीं दिखाई देता है। चौराहे पर कंपनी के द्वारा किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था नहीं है और ना ही सुरक्षा के मानकों को अपनाया गया है। ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियां मनमाने तरीके से आवागमन करती हैं। उन्हें सुरक्षा नियमों का भी कोई ख्याल नहीं रहता है। लापरवाही पूर्ण वाहनों के परिचालन के कारण आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही डाड़ी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेने के बाद माना कि लापरवाही पूर्ण वाहनों के परिचालन ही इस घटना का मुख्य कारण है।

मृतक अपने पीछे माता पिता पत्नी और तीन पुत्र छोड़ गया। समाचार लिखे जाने तक जाम लगा हुआ था।

हमेशा धूल उड़ने से सामने नहीं दिखता, नियमों का पालन नहीं

मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम करते ग्रामीण।

चौपारण : न्यू गंगोत्री फैमिली ढाबा पर गिरा विशाल पेड़, बचे लोग

चौपारण। प्रखंड के जीटी रोड के समीप सियरकोनी में वन भूमि पर संचालित न्यू गंगोत्री फैमिली ढाबा में गुरुवार की दोपहर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। जिससे न्यू गंगोत्री फैमिली ढाबा एवं पान गुमटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक पेड़ गिरते समय संचालक पान गुमटी में था। जिसके चपेट में आकर घायल हो गया। इस सम्बंध में न्यू गंगोत्री फैमिली ढाबा के मालिक सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि प्रतिदिन की भांति होटल बुधवार को संचालित था और सभी स्टाफ भी मौजूद थे। अचानक दोपहर में होटल से सटा एक विशाल पेड़ होटल पर गिर गया। जिससे होटल में लगा एस्बेस्टस सहित कई समान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सामने खड़ी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो

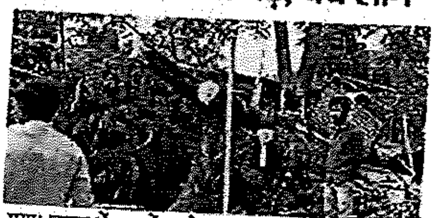

गया। घटना में हजारों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं होटल के साथ पान गुमटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया बताया जाता है कि वन भूमि में संचालित होटलों को तोड़ने का हाइकोर्ट का आदेश है। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 09-02-2023

शहर में घुसा झुंड से बिछड़ा हाथी... चार को लिया चपेट में, 3 की मौत, दो घायल

खिरगांव डंपिंग यार्ड के बाद यशवंतनगर पहुंचा हाथी
मार्खम कॉलेज से सिरसी तक की सभी दुकानें रहीं बंद

भास्कर न्यूज | हजारीबाग

यशवंतनगर कॉलोनी में घूमता हाथी।

हाथी के दहशत के कारण बंद पड़ी दुकानें।

घटना के बाद जुटे अधिकारी व अन्य।

हजारीबाग शहरी क्षेत्र में हाथी के हमले से घायल हुई युवती रिंकी कुमारी (उम्र करीब 23 साल) रिम्स शहर के आरोग्यम हॉस्पिटल में इलाजरत है। इसी हाथी के कुचलने से दो लोगों की मौत हो गई है। उनके शवों के पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। रिंकी राजूलेशन में किराए के मकान पर अपने परिवार संग रहती है। इनके पिता का नाम सुरेश पंडित है। घटना को लेकर वन विभाग हजारीबाग के पश्चिमी डीएफओ सबा आलम ने कहा कि हाथी भगाओ दस्ता को बुलाया गया है। शाम ढलते ही हाथी भगाओ दस्ता अपना काम शुरू करेगी और सुरक्षित तरीके से हाथी को गंतव्य जगह तक पहुंचाएगी। उन्होंने इलाजरत घायल हुए युवती की मदद के लिए अस्पताल में अपने विभागीय कर्मी को भेजने की बात कही और कहा कि मृतकों के परिजनों को तत्काल कुछ राशि मुआवजा के रूप में दे दी गई है बाकी मुआवजा भी जल्द दिया जाएगा। इधर यशवंत नगर में मार्खम कॉलेज से सिरसी तक सभी तरह की दुकानें बंद कर दी गई। सड़क सुनसान हो गया। लोग अपने अपने घरों में सिमट गए। खिरगांव डंपिंग यार्ड के बाद हाथी यशवंत नगर पहुंच गया था।

हाथी कब कहां पहुंचा

हजारीबाग शहर में हाथी चड़ी जंगल की तरफ से सुबह 4:30 बजे हुरहुरू तालाब के पास पहुंचा। 5:05 बजे विवेकानंद स्कूल के गेट के पास पहुंचा। घूमते हुए हाथी 5:30 बजे खिरगांव डंपिंग ग्राउंड के पास खेत में पहुंच गया। दिन भर पड़ा रहा। शाम में छह बजे वन विभाग की टीम ने खेत से भगाया। 6:15 में यशवंत नगर होते हुए शाम सात बजे सिरसी पहुंच गया। शाम 7.00 बजे सिरसी गांव में हाथी ने एक बच्चे को पटक कर जख्मी कर दिया। यहां से हाथी को डेमोटांड़ जंगल की तरफ भेजने का प्रयास किया जा रहा है।

मृतक के परिजनों को दिया गया तत्काल 25-25 हजार, बाकी 3.75 लाख रुपए जल्द : डीएफओ

वन विभाग के डीएफओ आलम ने बताया कि मृतक के परिजनों को क्रिया कर्म के लिए तत्काल 25-25 हजार की राशि उपलब्ध करवा दी गयी है। साथ ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों मृतकों के परिवार को देय चार लाख में तत्काल दी गयी राशि को घटाकर मुआवजा दिया जाएगा। घायलों के परिजनों को एक लाख मुआवजा मिलता है पर उनकी चोट को देखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।

यशवंत नगर की तरफ से डेमोटांड़ जंगल भेजा गया

हजारीबाग । हजारीबाग पहुंचे हाथी को शाम 6:00 बजे के बाद पश्चिमी वन प्रमंडल की टीम क्विक रिस्पॉन्स टीम ने दक्षिण की ओर भगाया। शेष तीनों दिशा में आबादी बसी है। हाथी इस ओर आता तो मानव के साथ टकराव हो सकता था। हाथी यशवंत नगर की ओर से डेमोटांड़ की तरफ निकला। वन विभाग की टीम सड़क पर लोगों को सचेत रहने का निर्देश दे रहा था। सभी से घर के भीतर रहने की नसीहत दी जा रही थी।

सुबह 4.30 बजे हुरहुरू तालाब पहुंचा था, 5.30 बजे डंपिंग यार्ड

4:30 बजे हुरहुरू तालाब : हाथी सुबह 4:30 बजे हुरहुरू तालाब के पास पहुंचा था। लोगों ने चहारदीवारी तोड़ते देखा। वहां से सड़क से होते हुए पांच चक्कर पांच मिनट पर हाथी विवेकानंद स्कूल के गेट के पास पहुंचा था वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में इसका फुटेज देखा गया। 5:30 बजे हाथी डंपिंग यार्ड के पास पहुंच गया था। पश्चिमी वन प्रमंडल के एसडीओ अमन मॉर्निंग वॉक के लिए डंपिंग यार्ड के पास पर पहुंच गए थे। अमन ने बताया कि लोगों को मना करने के बाद भी लोग खेत की ओर गए। दो लोगों के मारे जाने की खबर सुनकर लोग जमा हुए और हजारीबाग पतरा मार्ग को खिरगांव पुल के पास जाम कर दिया। लोग मुआवजा की मांग कर रहे थे। पश्चिमी वन प्रमंडल के एसीएफ एके परमार ने मृतकों को वन विभाग के प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने की घोषणा की। इसके बाद वन विभाग के कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर लाश को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

टस्कर मस्त हो गया है : हजारीबाग शहर पहुंचा हाथी युवा नर है। उसका दांत (टस्क) बाहर की ओर निकला हुआ है। वन्य जीवों पर काम करनेवाले जंतु विज्ञानी डॉ सत्यप्रकाश ने कहा कि युवा नर के मस्त होने की स्थिति ज्यादा उग्र हो हो जाता है। विद्रोही हाथी को झुंड लीडर अपने समूह से बाहर निकाल देते हैं। झुंड से बाहर किया गया हाथी अत्यधिक उग्र हो जाता है और बेवजह लोगों को मार सकता है। उग्र होने के पीछे उसके शरीर में हार्मोन का स्राव है।

(71)

दैनिक भास्कर हजारीबाग 02-11-2022

मृतक के परिजन को ₹6 लाख और नौकरी देगी त्रिवेणी सैनिक कंपनी

कंपनी के हाइवा की चपेट में आने से हुई थी रामकुमार महतो की मौत

भास्कर न्यूज|बड़कागांव

सोमवार देर शाम हजारीबाग रोड स्थित 13 माइल के पास त्रिवेणी सैनिक कंपनी के हाइवा की चपेट में आने से विधायक मोहल्ला बड़कागांव निवासी 40 वर्षीय राम कुमार महतो के घटनास्थल पर ही मौत हो जाने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 घंटा सड़क जाम रखा। देर रात लगभग 1:00 बजे पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, पश्चिमी पंचायत मुखिया सह संघ अध्यक्ष रंजीत कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि मोहम्मद इब्राहिम, पूर्वी मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार साव, सांसद प्रतिनिधि बालेश्वर कुमार, कंपनी के अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में समझौते के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा गया। इस दौरान हाईवा से हो रही कोयले की ट्रांसपोर्टिंग कार्य को 19 घंटा तक बंद रहा, एनटीपीसी साइट कार्यालय सिकरी में जन प्रतिनिधि मंडल एवं कंपनी के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद ट्रांसपोर्ट इन कार्य शुरू कर दिया गया। इस दौरान कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कंपनी के अधिकारी जनरल मैनेजर सयक पाल ने बताया कि मुआवजा के तौर पर मृतक के परिजन को 6 लाख का चेक बुधवार को दे दिया जाएगा एवं उनके परिजन के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

रामकुमार महतो।

दैनिक भास्कर हजारीबाग 28-07-2022

रांची, गुरुवार 28 जुलाई, 2022 बरही • विष्णुगढ़ • दारू बड़कागांव • चौपारण dainikbhaskar.com

हिंसक हो रहे हाथी • 246 लोगों की 5 साल में ली जान • 46 जान इस साल ले चुके अब तक • 1744 घर 5 साल में ढहाए

हमारी गलतियों से हाथी हुए हमलावर | जंगल काटे जा रहे, जिस रास्ते से आना-जाना वहां बसती जा रही आबादी; भूख मिटाने के लिए गांवों में नुकसान पहुंचा रहे हाथी

भास्कर पड़ताल... भास्कर टीम ने 11 प्रभावित जिलों का जाना हाल, गांवों में देसी शराब बनने से भी गंध से मदहोश हो उग्र हो रहे हाथी

[illegible]

[illegible] ...की संख्या 125 हो गई है।

[illegible]

इस साल सबसे ज्यादा हजारीबाग में 12 ग्रामीणों को मार डाला

5 साल का आंकड़ा देखें तो हाथियों के गुस्से के शिकार हुए लोगों में 246 की जान चली गई। [illegible] 1744 घरों को [illegible] हजारीबाग में 12 ग्रामीणों को हाथियों ने मार डाला। 5 साल में खूंटी में सबसे ज्यादा 51 ग्रामीणों को [illegible] हजारीबाग में 49 और गुमला में 47 लोगों को [illegible] गुमला में 62 ग्रामीणों को हाथियों ने घायल कर दिया।

5 साल में सबसे ज्यादा खूंटी में 51 ग्रामीणों की गई जान

जिला	2018	2019	2020	2021	2022	कुल
हजारीबाग	07	05	08	10	12	49
कोडरमा	00	01	00	01	00	02
[illegible]	01	02	01	01	00	05
[illegible]	02	03	04	02	03	14
[illegible]	03	07	00	05	03	18
गुमला	12	15	06	11	03	47
खूंटी	11	17	07	13	03	51
लातेहार	01	03	05	05	08	22
सिमडेगा	01	02	03	02	09	19
[illegible]	03	03	05	04	01	18
[illegible]	00	00	01	03	02	06
कुल	40	68	41	61	46	246

ऐसे समझें... कब कितना नुकसान

कितने घायल हुए	कितने घर गिराए	प्रभावित गांव
2018 : 36	2018 : 401	2018 : 185
2019 : 38	2019 : 457	2019 : 182
2020 : 81	2020 : 306	2020 : 131
2021 : 71	2021 : 430	2021 : 131
2022 : 58 (जुलाई तक)	2022 : 150 (जुलाई तक)	2022 : 125 (जुलाई तक)

स्रोत : वन विभाग

वन विभाग के पास फंड का घोर अभाव

[illegible]

एक्सपर्ट से जानें हाथी क्यों हो रहे हैं क्रूर

[illegible]

(73)

दैनिक भास्कर हजारीबाग 22-03-2022

पसई व ढेंगुरा में हाथियों ने फसल नष्ट की, तोड़ा मकान

भास्कर न्यूज | कटकमदाग

प्रखंड के पसई व ढेंगुरा के ललकी टोला में रविवार की रात हाथियों के झुंड ने विभिन्न तरह के फसलों को नष्ट कर दिया। पसई निवासी उमेश साव के करीब एकड़ भूभाग में लगे गेहूं, सरसों, प्याज सहित सब्जियों के फसल को हाथियों ने नष्ट कर दिया। जमीन पर चहारदीवारी से घिरी थी। लेकिन हाथियों ने जगह-जगह चहारदीवारी तोड़कर बारी के अंदर प्रवेश किया और फसलों को खाने के साथ-साथ रौंद कर नष्ट कर दिया। अंदर बने एक कच्चा मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वही ढेंगुरा निवासी भीम नारायण साव के ललकी मे करीब डेढ़ एकड़ में लगे तरबूज, करेला, लौकी व अन्य सब्जियों के फसल को बर्बाद कर दिया। इसी गांव के दीपक राणा की फसलों को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। बताते चलें कि पिछले 4 दिनों से प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव में हाथियों का आतंक बरकरार है। रात को करीब 18-19 की संख्या में हाथियों के झुंड गांव के किनारे लगे फसलों को निशाना बनाते हैं। इसके पूर्व हाथियों के झुंड ने बानादाग, नवादा व बेस में फसलों का नुकसान पहुंचा चुके हैं। हाथियों द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने को लेकर जहां किसान चिंतित हैं वही ग्रामीण दहशतजदा है। क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दी है। लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा।

रांची, सोमवार 14.03.2022 | प्रभात खबर | 06

हाथियों का कॉरिडोर है बड़कागांव रेंज
अब तक 13 की गयी है जान

- अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं किया गया

संजय सागर, बड़कागांव

बड़कागांव रेंज हाथियों का कॉरिडोर है. इसीलिए हर तीन से छह माह के बीच बड़कागांव के रास्ते से हाथियों का आना -जाना लगा रहता है. हाथियों के रास्ते में जितने भी गांव आते हैं, उन गांव को हर तीन से छह माह में हाथियों द्वारा उत्पात मचाया जाने से लोगों का लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है. दो वर्ष के अंतराल में 13 लोगों की जान हाथियों ने ली है. हाथियों के उत्पात से बड़कागांव प्रखंड में आतंक मचा है. दिसंबर-2021 में क्षेत्र के ग्रामीण हाथियों के उत्पात से लोग परेशान रहे हैं. सरकार इन जंगली हाथियों से बचाव का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है.

पिछले वर्ष भी गयी थी कई लोगों की जान : नवंबर महीने के 2018 में सिमरा तरी निवासी 45 वर्षीय तुलसी महतो, डोका टांड निवासी 40 वर्षीय डॉलु साव, पिपरवार निवासी जगला मुंडा ,मिर्जापुर निवासी मोहम्मद हसीब ,2019 में शुकुल खटिया निवासी सुगन राजवार , दो माह पूर्व बड़कागांव के ग्राम सेहदा निवासी जागो गंजू,. तीन फरवरी 2:30 बजे रात्रि में उर्फ रोगन गंजू को हाथियों ने कुचल कर मार डाला था.

जंगल में हाथियों का झुंड

दिसंबर 2021 में एक ही परिवार के तीन लोगों को हाथियों ने कुचल डाला था .20 दिसंबर 2021 को 12:00 बजे रात्रि में हाथियों ने कुरहा में सो रहे राम वृक्षराम सिंह

केस स्टडी-1

के परिवारों को कुचल डाला . जिसमें से रोहणी देवी 40 वर्ष, पुत्र मुकेश कुमार 12 वर्ष, पुत्री सुंदरी कुमारी 10 वर्ष की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी . जबकि पिता रामवृक्ष राम सिंह 45 वर्ष भागकर जान बचाने की कोशिश कर रहा था कि राम सिंह को हाथियों ने सूंड से लपेट कर फेंक डाला . जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था .

केस स्टडी- 2

दो अप्रैल 21 को बड़कागांव के ग्राम गाली निवासी तेतर गंझू उर्फ रोगन गंझु पिता मीठू गंझू को हाथियों ने कुचल कर मार डाला . साथ ही दो मवेशी को भी मार डाला . मरे हुए मवेशी दिनेश गंझू का था . यह घटना 2:30 बजे रात घटी थी .

केस स्टडी- 3

बड़कागांव के ग्राम सेहदा में 29 जनवरी की रात चंदन गंझू की पत्नी पार्वती देवी को हाथियों ने कुचल कर उसके कमर को तोड़ डाला था .

(75)

दैनिक भास्कर हजारीबाग 30-07-2021

बानादाग साइडिंग से प्रभावित 265 किसानों को मिलेगा फसल का मुआवजा

सदर विधायक ने एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ जारी की सूची

भास्कर न्यूज | कटकमदाग

किसानों को सूची सौंपते सदर विधायक।

प्रखंड के बानादाग स्थित कोल साइडिंग से प्रभावित 265 किसानों को फसल क्षतिग्रस्त का मुआवजा मिलेगा। इसके लिए गुरुवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल ने एनटीपीसी के अधिकारियों की उपस्थिति में सूची जारी कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व किसानों को सौंपा। बताया गया कि नवंबर 2018 में विधायक के साथ स्थानीय संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण कर फसलों का मुआयना किया था। बर्बाद फसलों का सैंपल कलेक्ट कर एनटीपीसी के बड़कागांव कार्यालय और सदर विधायक के कार्यालय में जमा कर क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी।

मुआवजा मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व किसान लगातार संघर्षरत थे। अंततः सदर विधायक के पहल पर प्रभावित किसानों की सूची बनाकर जारी की गई। एनटीपीसी के सीनियर मैनेजर बीएन सिंह द्वारा बताया गया कि साइडिंग से उत्तर दिशा की ओर 50 मीटर एवं दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर तथा कुसुम्भा रोड बानादाग सीमा तक जो जमीन आते हैं उसका मुआवजा की सूची निर्गत की गई है। उन्होंने बताया कि मापक सीमा के अंतर्गत जो किसान इस सूची में छूट गए हैं उन्हें बाद में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर एनटीपीसी के डीजीएम डिस्पैच प्रवीण अखौरी, सीनियर मैनेजर सौरभ, सीनियर मैनेजर बी. एन.सिंह, कटकमदाग विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार साहू, विधायक प्रतिनिधि इंद्रनारायण कुशवाहा, प्रखंड प्रमुख अशोक यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष कविंद्र यादव, मुखिया प्रतिनिधि हुलास प्र. कुशवाहा, पंसस प्रतिनिधि विनोद प्रसाद, दिनेश प्रसाद, उद्यो गोप, मो. कौसर, सुरेंद्र प्रसाद, बसंत यादव, सुनील यादव, टिंकू कुमार, शंकर गोप, अजय कुमार, राजकुमार, मिथुन कुमार, राहुल कुमार, दिलचंद प्रसाद, जितेंद्र कुमार, नरेश ठाकुर, बबलू कुमार सहित कई किसान लोग मौजूद थे।

ANNEXURE 3

भारत सरकार
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(वन संरक्षण प्रभाग)

इंदिरा पर्यावरण भवन
अलीगंज , जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक- ई-साइन के अनुसार

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
राज्य सरकार, झारखण्ड,
रांची।

विषय - माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश औरENVIRONMENT CLEARANCE (EC) हेतु दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी OFFICE MEMORENDAM का दुरुपयोग कर एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2 F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 एवं NBWL के निर्देश का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के कारण वन्य जीवों के आवागमन/संतुलन बिगड़ने और मानव जीवन, कृषि और वन को नुकसान / खतरा होने के कारण तत्काल सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन बन्द करवाने के संबंध में ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय मे संदर्भित पत्र दिनांक17.08.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) जो कि श्री मंटू सोनी @ श्री शनि कांत, हजारीबाग, झारखण्ड, से प्राप्त हुआ है जिसमे राज्य शासन को उक्त मामले की उचित जांच करने का अनुरोध किया गया है।

अत: इस संबंध में राज्य सरकार झारखंड से अनुरोध है कि कृपया इस मामले में कानून के अनुसार आवश्यक कार्यावही करने का कष्ट करे।

भवदीय

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

Signed by Suneet Bhardwaj
Date: 08-09-2024 11:10:00

(सुनीत भारद्वाज)
सहायक वन महानिरीक्षक

प्रति:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), वन विभाग, झारखण्ड, शासन, रांची;
2. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची;
3. नोडल अधिकारी, वन विभाग, झारखण्ड, शासन, रांची;
4. श्री मंटू सोनी @ श्री शनि कांत, ग्राम पोस्ट-बड़कागांव, जिला हजारीबाग, झारखण्ड-825311।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

[illegible] भू०नि०(वि०नि०) [illegible] /2016—   [illegible], राँची दिनांक—

जलज कुमार
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

अत

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :— **Illegal transportation of coal through road instead of conveyor system which was mandatory as per MoEF&CC causing death cum murder of villagers of the locality-regarding.**

प्रसंग :— 1. भारत सरकार,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली का पत्र, दिनांक—09.09.2024 तथा अनुलग्न श्री मन्टू सोनी उर्फ शनि कांत, बड़कागाम, हजारीबाग से प्राप्त शिकायत पत्र, दिनांक—17.08.2024
2. दुर्गा उरॉव,राँची का आवेदन / शिकायत—पत्र , दिनांक—20.09.2024
3. दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर " (दिनांक—02.11.2022) का कतरन।
4. विभागीय पत्रांक—1174 दिनांक—29.03.2023, पत्रांक—2043 दिनांक—02.06.2023 पत्रांक—2661 दिनांक—14.07.2023, पत्रांक—215 दिनांक—25.01.2024, पत्रांक—835 दिनांक—11.03.2024 एवं पत्रांक—3615 दिनांक—06.09.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि NTPC की पकरीबरवाडीह कोल परियोजना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्टेज—2 की स्वीकृति की शर्त सं0—9 तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील सं0—5249 /2021 में पारित आदेश के आलोक में माह—नवम्बर, 2023 से सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन बन्द करवाने संबंधी शिकायत—पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में जाँचोपरान्त वस्तुस्थिति से विभाग को अवगत कराने का अनुरोध प्रासंगिक पत्र—4 द्वारा पूर्व में किया गया है। वांछित प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है।

प्रासंगिक पत्र—1, 2 एवं 3 की छायाप्रति संलग्न करते हुए पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में शिकायत—पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में जाँचोपरान्त वस्तुस्थिति से विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ANNEXURE 4

85

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)
NEW DELHI

Dy No 2260 CGO
12/10/23

Dated, the 11th October, 2023

NOTIFICATION

S.O. — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences which are also to be investigated by the members of the Delhi Special Police Establishment, namely:-

(a) Offence punishable under "The Forest (Conservation) Act, 1980 (Act No. 69 of 1980)";

(b) Any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with above mentioned offence(s) and/or for any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/58/2023-AVD-II]

(Sanjay Kumar Chaurasia)
Under Secretary to the Government of India

To,

The Manager
Govt. of India Press
Mayapuri, Ring Road
New Delhi – 110 064

F. No. 228/58/2023-AVD-II   New Delhi dated 11.10.2023

Copy To

(i) The Director, Central Bureau of Investigation (CBI), CGO Complex, New Delhi.
(ii) Director of Prosecution, Central Bureau of Investigation (CBI), CGO complex, New Delhi.
(iii) Guard File.

(Sanjay Kumar Chaurasia)
Under Secretary to the Government of India

Director, CBI

DIRECTOR CBI

Office of the Director
CBI New Delhi
Dy. No. 4327-CGO
Date 11/10/2023

HOZ/JD (Policy)